Par. S. 17. I. 9.52
285

अंक १ | बृहस्पतिवार,
संख्या ९ | २९ मई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी संस्करण]

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४५१—४९१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४९१—४९६]

(मूल्य ४ आने)

216 PSD.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगनूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलना—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ़्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित— अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झाला-वाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित जातियां)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काजमी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या वाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चंदा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चाडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चुरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द्र (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)

जेन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुखाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगाम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल भानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ्फ़रपुर व दरभंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित, जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीराजीराव, (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
मांझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल (खम्मम)
राव, श्री राधासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग क्रिशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैंडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सीधि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री ख़ूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २९ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्राथमिक शिक्षा

***२६६. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर बुनियादी शिक्षा को चालू करने के सम्बन्ध में शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता पर्षद् की सिफ़ारिशों की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि—

(क) सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) योजना के कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में लगभग कितनी रक़म के व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मार्च, १९५२ में हुई अपनी १९ वीं बैठक में शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता पर्षद् ने जो सिफ़ारिशें की थीं उस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७(२)**]

भारत में सन् १९४४ में युद्धोत्तर काल शिक्षाविकास के सम्बन्ध में पर्षद् द्वारा की गई रिपोर्ट की प्रतियां भी सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७ (२)**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से राज्य भारत वर्ष में हैं जिन में बेसिक ऐजूकेशन के सिलसिले में काम किया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : पार्ट सी की कतिपय स्टेट्स को छाड़ कर प्रायः सभी राज्यों में।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कोई ऐसी पार्ट सी स्टेट्स भी है, मसलन दिल्ली, जहां कि बेसिक ऐजूकेशन के सिलसिले में काम किया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, यहां कुछ काम हो रहा है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : बेसिक ऐजूकेशन के कितने स्कूल होंगे ?

श्री जगजीवन राम : यह तो नोटिस (पूर्व सूचना) देने पर बतलाया जा सकता है।

पंडित सी० एन० मालवीय : सी स्टेट्स को इस स्कीम से छोड़ देने का क्या कारण है ?

श्री जगजीवन राम : प्रायः सभी राज्यों ने बुनियादी तालीम के उसूलों को स्वीकार कर लिया है। जैसे जैसे उन की आर्थिक परिस्थिति अनुकूल होती जाती है वह इस को अपने राज्यों में चलाने की चेष्टा करते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सैकिंडरी ऐजूकेशन को और प्राइमरी ऐजूकेशन को बेसिक ऐजूकेशन में बदलने के लिये इस वर्ष सरकार ने कोई रक़म मुक़र्रर की है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, कुछ रक़म मुक़र्रर की है। अगला एक सवाल आयेगा जिसमें इस का जवाब विस्तार से दिया जायगा।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सी राज्यों में से अभी तक किन किन राज्यों में ऐसा करने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह तो सूचना मिलने पर बतलाया जा सकता है ?

सेठ गोविन्द दास : भिन्न भिन्न राज्यों को क्या इस सम्बन्ध में कोई सहायता केन्द्रीय सरकार से मिल रही है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, सहायता देने की बात तो है।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि माध्यमिक शालाओं में बुनियादी शिक्षा देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह तो बोर्ड (पर्षद्) की सिफ़ारिश को आप पढ़ेंगे तो आप को साफ़ मालूम हो जायगा।

नदी घाटी योजनायें

***२६७. श्री हुक्म सिंह :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रमंडल, यूनैस्को तथा चतुर्थ लक्ष्य प्रविधिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष १९५१-५२ में क्या किसी भारतीय इंजीनियर को नदी घाटी योजनाओं से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर भेजा गया था ; तथा

(ख) भारत में विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति में सहायता देने के लिये क्या अन्य देशों से कोई विशेषज्ञ भारत आये हैं ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, श्रीमान्। वर्ष १९५१-५२ में प्रशिक्षण के लिये ११ इंजीनियरों को बाहर भेजा गया था।

(ख) जी हां, श्रीमान्। वर्ष १९५१–५२ में १० विशेषज्ञ आये हैं।

श्री हुक्म सिंह : श्रीमान्, इन इंजीनियरों को किन किन देशों में भेजा गया है ?

श्री नन्दा : मेरे पास व्यौरा है। यह प्रश्न बाहर भेजे गये इंजीनियरों अथवा आये हुए विशेषज्ञों के सम्बन्ध में ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बाहर भेजे गये इंजीनियरों के सम्बन्ध में है।

श्री नन्दा : अर्थात्, इंजीनियरों के सम्बन्ध में। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, श्री वडेरा—टसमानिया, आस्ट्रेलिया। श्री कृष्ण . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नन्दा : मैं देशों के नाम दे दूं। ४ संयुक्त राष्ट्र अमरीका, ५ कनाडा तथा २ आस्ट्रेरिया।

श्री हुक्म सिंह : क्या उन का चुनाव करने के लिये कोई विशेष पर्षद् नियुक्त किया गया था अथवा उन्हें बाहर भेजने

के लिये केवल विभागों के प्रधानों ने मिल कर ही यह चुनाव किया था ?

श्री नन्दा: सम्बद्ध मंत्रालय या वह संस्थायें, जिन्हें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है या जिन्हें अपने प्रशिक्षार्थियों को बाहर भेजना होता है, प्रार्थना करती हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने उन प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिये व्यवस्था कर दी है और इस के पश्चात् अन्तिम निश्चय होता है।

श्री हुक्म सिंह: क्या एक ही देश को भेजे गये इंजीनियर विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं अथवा उस देश में उन्हें एक ही प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री नन्दा: आने वाले विशेषज्ञों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर जाने वालों की जो संख्यायें मैं ने बतलाई हैं, हम ने उस से कहीं अधिक संख्या में प्रार्थनायें की हैं। कुछ प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया गया है तथा कुछ को नहीं। मैं उन विषयों को बतला सकता हूं जिन के लिये हम ने प्रशिक्षार्थी बाहर भेजे हैं तथा जिन के लिये हम ने विशेषज्ञ बुलाये हैं। क्या माननीय सदस्य उन विषयों की सूची ज्ञात करना चाहते हैं जिन के लिये हम ने प्रशिक्षार्थियों को बाहर भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय: उन का कहना कुछ और है। वह ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी विशेष देश को भेजे गये इंजीनियरों को वहां एक ही विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा विभिन्न विषयों में ?

श्री नन्दा: विभिन्न विषयों में।

श्री नम्बियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में किन किन देशों से विशेषज्ञ भारत में आये हैं ?

श्री नन्दा: ११ इंजीनियरों के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर देते हुये मैं ने यह पूर्णरूप से ज्ञात कर लिया था वह प्रशिक्षार्थियों अथवा विशेषज्ञों के सम्बन्ध में था और क्योंकि वह प्रश्न प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में था इसलिये संख्या ७ न हो कर ११ है। विशेषज्ञों के सम्बन्ध में मैं सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: उन का निर्देश उन दो की ओर है जो वापस आ गये हैं।

श्री नम्बियार: इस परियोजना के लिये विशेषज्ञ भारत आये हैं। मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि किन किन देशों से विशेषज्ञ भारत आये हैं ?

श्री नन्दा: जहां तक उन विशेषज्ञों का सम्बन्ध है जो भारत आये हैं, मुझे ज्ञात है कि उन्हें कैसे अर्थात्, कोलम्बो योजना अथवा चतुर्थ लक्ष्य योजना के अन्तर्गत भर्ती किया गया है। मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है कि वह किन किन देशों से आये हैं।

श्री नम्बियार: प्रश्न के दूसरे भाग से उत्पन्न होते हुए क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि यहां पर विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति में सहायता देने के लिये किन किन देशों से विशेषज्ञ आये हैं ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही बतला दिया है कि विशेषज्ञ किस कार्य के लिये भर्ती किये जाते हैं किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उन को किन किन देशों से यहां भेजा जाता है। उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री सारंगधर दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं बाहर भेजने के लिये प्रशिक्षार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

श्री नन्दा: सम्बन्धित संस्थाओं के साथ उचित समझौतों के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है अर्थात्, यूनैस्को, चतुर्थ लक्ष्य तथा

राष्ट्रमंडलीय प्रविधिक सहयोग योजनाओं के अन्तर्गत । इस प्रकार की व्यवस्था का इन समझौतों में प्रावधान है । यदि विस्तार में सूचना चाहिये तो मैं उसे यहीं दे सकता हूं । अथवा उन के पास भेज सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

श्री सारंगधर दास : उन्हें कैसे चुना जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतलाया कि यह सब समझौते पर निर्भर करता है । आप निर्देश कर सकते हैं । अगला प्रश्न ।

अन्धों के लिये शिक्षा

***२६८. श्री हुक्म सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देहरादून में प्रौढ़ अन्धों को किस प्रकार के काम धन्धे सिखाये जाते हैं ; तथा

(ख) वर्ष १९५१-५२ में कितने विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा समाप्त की ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) देहरादून में प्रौढ़ अन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र अन्धों को वह साधारण कुटीर उद्योग सिखाता है, जो कि अन्धों के लिये लाभदायक होते हैं । मुख्य उद्योगों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ख) वर्ष १९५१-५२ में २० व्यक्तियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया ।

श्री हुक्म सिंह : देश के विभिन्न भागों से आने वाले अन्धों को क्या एक ही प्रणाली द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री जगजीवन राम : मैं तत्काल उत्तर नहीं दे सकता ।

जनाब अमजद अली : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह तालीम उन के गुजारे के लिये किस हद तक मदद करती है ?

श्री जगजीवन राम : जिन विषयों में तालीम दी जाती है वह सीख लेने के बाद वह अपनी जीविका के लिये कुछ पैदा कर सकते हैं ।

श्री हुक्म सिंह : आयव्ययक में इन अन्धों द्वारा स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात् आगे की शिक्षा के लिये ६,००० रुपयों का प्रावधान है । वह प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा ?

श्री जगजीवन राम : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री गुरुपादस्वामी : जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है उन में से अब तक कितनों को नौकरी मिल गई है ?

श्री जगजीवन राम : कुछ भूतपूर्व सैनिकों को देहरादून की आर्डिनैन्स फ़ैक्टरी में नौकरियां मिल गई हैं । कुछ ने अपने स्वतंत्र धन्धे जैसे संगीत शिक्षक, बुनना तथा कुर्सियों में बेंत लगाना इत्यादि चालू कर लिये हैं ।

श्री हुक्म सिंह : अन्धता सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् के लिये ५,००० रुपये की और व्यवस्था की गई है इससे वह क्या कार्य करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यह सब सूचना मेरे पास यहां पर नहीं है ।

युद्ध निवृत्ति वेतन दावे

***२६९. श्री हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निर्धारण के लिये अब भी कोई युद्ध निवृद्धि वेतन के दावे शेष पड़े हुये हैं ;

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में निवृत्ति-वेतन के कितने दावे प्राप्त हुए ; तथा

(ग) इसी अवधि में कितने दावों को निबटाया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ९,४८५ ।

(ग) ११,३०६ ।

श्री हुक्म सिंह : क्या इस समय भी कोई अपील पड़ी हुई है ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे भय है कि मेरे पास यह सूचना नहीं है । यदि आवश्यक हुआ तो यह सूचना दे दूंगा ।

श्री हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ऐसी अपीलों को सुनने के लिये कोई निर्धारण अधिकरण हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे विचार से ऐसी अपीलें सुनने के लिये अधिकरण है, किन्तु आज मैं इस से अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री वैलायुधन : सरकार के पास जो दावे किये गये हैं उन के कब तक निबटाये जाने की सम्भावना है ?

श्री गोपालस्वामी : इस समय युद्ध निवृत्ति-वेतन के लगभग २,६०० दावे पड़े हुये हैं । आरम्भ में लगभग ५ लाख दावे किये गये थे । इस प्रकार हम ने उन्हें काफ़ी अधिक निबटा दिया है । मेरे विचार से, कुछ ही महीनों में, कदाचित् एक वर्ष में, यह भी निबटा दिये जायेंगे ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फ़ैक्टरी

*२७०. **श्री वैलायुधन :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंगलौर की हिन्दुस्तान एयर-क्राफ़्ट फ़ैक्टरी में जैट चलित (प्रोपेल्ड) वैम्पायर वायुयान बनाये जाते हैं ;

(ख) क्या उसके सब पुर्ज़े फ़ैक्टरी में बनते हैं ; तथा

(ग) फ़ैक्टरी में कौन कौन से विदेशी इंजीनियर अथवा विशेषज्ञ काम करते हैं तथा उन की योग्यतायें क्या क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । इस फ़ैक्टरी के सम्बन्ध में ऐसी बातें विस्तार में बताना जन हित में नहीं है ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की शिक़ायत प्राप्त हुई है कि उस फ़ैक्टरी में काम करने वाले विदेशी इंजीनियर अपने अधीन काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों को वैम्पायर वायुयान के समस्त भागों को बनाने नहीं दे रहे हैं जिससे कि उन के भागों को केवल यहां पर जोड़ जोड़ कर वा, न तैयार किये जायें ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे इस प्रकार की किसी शिक़ायत का पता नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में उस फैक्टरी में किसी भारतीय वायुयान के शत प्रति शत बनाये जाने की संभावना है ?

श्री गोपालस्वामी : हमें आशा है कि यथासम्भव शीघ्रता से हम एक ऐसे वायु-यान के बनाने में सफल होंगे ।

श्री नम्बियार : इस में कितने वर्ष लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । जितनी जल्दी संभव हो सकेगा ।

श्री हुकम सिंह : क्या यह सत्य है कि इस फ़ैक्टरी में बनाया गया एच टी २ वायुयान का एकमात्र प्रारम्भिक नमूना उड़ान परीक्षा में ही गिर कर टूट गया ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे ध्यान पड़ता है कि इस प्रकार की खबर मैं ने समाचार-पत्रों में पढ़ी थी, इस समय मेरे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं इस फ़ैक्टरी में काम करने वाले विदेशी इंजीनियरों का वेतन ज्ञात कर सकता हूं ।

श्री गोपालस्वामी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी सूचना बतलाना जन हित में नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में कितने जैट वायुयान तैयार हुये हैं ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं यह सूचना नहीं दे सकता ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट फ़ैक्टरी में वैम्पायर वायुयान के समस्त भाग तैयार किये जा सकते हैं ?

श्री गोपालस्वामी : निस्सन्देह, इस समय समस्त भाग तैयार नहीं किये जा सकते हैं ।

नैपाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*२७२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये क्या नैपाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) यदि दी गई हैं, तो कितनी ;

(ग) उन के अध्ययन के क्या क्या विषय हैं ; तथा

(घ) प्रत्येक छात्रवृत्ति की रक़म क्या है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) १९४९ से अब तक ८ ।

(ग)	एम. बी. बी. एस.	३
	विद्युत इंजीनियरिंग	२
	एम. एससी. (अंकशास्त्र)	१
	एम. एससी. (रसायन)	१
	एम. ए.	१

(घ) २०० रुपये प्रति मास । इसके अतिरिक्त यदि कोई पढ़ाई, परीक्षा तथा प्रतिजन फ़ीस लगती हो तो वह भी सरकार सीधे उस संस्था को दे देती है ।

वायुयान वाहक पोत.

*२७३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत कब तक अपना वायुयान वाहक पोत प्राप्त करने में सफल होगा ; तथा ;

(ख) क्या उस प्रकार के वाहक पोतों के निर्माण के लिये भारत में उपयुक्त प्रविधिक कर्मचारी हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : कोई निश्चित तिथि अभी नहीं बताई जा सकती ।

(ख) अभी तो नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार वायुयान सम्बन्धी प्रविधिक कर्मचारियों को किस प्रकार प्रशिक्षित कराने का विचार रखती है ?

श्री गोपालस्वामी : प्रविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये हम ने कोचीन में एक बेड़ा आवश्यकता यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है तथा उन लोगों को इस कार्य के

लिये आवश्यक सामान भी दे दिया जायेगा जिससे कि वह शीघ्र से शीघ्र सेवा के लिये उपलब्ध हो सकें ।

दिल्ली की स्थिति

*२७४. **श्री बी० आर० भगत**: क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि वह दिल्ली राज्य की स्थिति में संशोधन करने तथा भाग 'क' में के राज्यों के नमूने पर ही पूर्ण स्वायत्तता स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर ज़ोर देगी ;

(ख) यदि ज़ोर डालने का निश्चय किया है, तो क्या इस आशय का कोई स्मरण-पत्र भारत सरकार के पास भेजा गया है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उस सम्बन्ध में क्या करने का निश्चय किया जा रहा है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री बी० आर० भगत: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी अन्य भाग 'ग' में के राज्य के विधान मण्डल ने भाग 'क' में के राज्यों की स्थिति में परिवर्तित होने के लिये कहा है ?

डा० काटजू: अभी तक तो नहीं ।

पौण्ड पावना

*२७५. **श्री झुनझुनवाला**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून १९४६ में भारत सरकार के हिसाब में कितना पौण्ड पावना थी ?

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को पौण्ड पावना सम्बन्धी बक़ाया क्या थी ?

(ग) इस अवधि में भारत ने स्टर्लिंग तथा डालरों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की ?

(घ) जून, १९४६ से ३१ मार्च, १९५२ तक की इस अवधि में बक़ाया रक़म के लिये हमारे हिसाब में ब्याज के रूप में कितनी राशि डाली गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जून, १९४६ के अन्त में शेष राशि १,६९३ करोड़ रुपये थी ।

(ख) ७२३ करोड़ रुपये ।

(ग) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य यह ज्ञात करना चाहते हैं कि पौण्ड पावना में से कितनी राशि निकाली गई तथा ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी कमी पूरी करने के लिए स्टर्लिंग क्षेत्र के केन्द्रीय स्वर्ण तथा डालर रक्षित कोषों में से कितनी राशि ली गई । पौण्ड पावना से निकाली गई कुल राशि, जिस में पाकिस्तान के भाग में आई सम्पत्ति और रक्षा सम्बन्धी समान तथा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी वार्षिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र सरकार को दी गई राशियां भी सम्मिलित हैं, ९७० करोड़ रुपये है । जनवरी, १९४८ से आरम्भ होने वाली अवधि में डालर तथा ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्रों के सम्बन्ध में हम ने अपनी कमी को केन्द्रीय रक्षित कोष से ६८ करोड़ रुपये तक पूरा किया था । इस से पहले समय के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) ५३.७ करोड़ रुपये ।

श्री झुनझुनवाला: ब्याज किस दर पर जमा किया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: स्टर्लिंग प्रतिभूतियों पर इस समय १,३/४ से २,१/२ प्रति शत की दर तक ब्याज मिलता है ।

श्री झुनझुनवाला : इस समय हमें अंतिम दर क्या मिल रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बतलाना बहुत कठिन है । समय समय पर यह दर बदलती रहती है तथा जो दो दरें मैं ने बतलाई हैं यह उन्हीं के बीच में रहती है । यह याद रखना चाहिये कि कुछ स्टलिंग राजकोष विपत्रों में विनियोजित हैं जिस से दर में कमी हो जाती है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या में ज्ञात कर सकता हूं कि निवृत्ति-वेतन के लिये कितनी राशि अलग रख दी जाती है तथा क्या राशि किसी विशेष वर्ष के लिये ही होती है अथवा निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने वालों के जीवन काल की अवधि के लिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : निवृत्ति-वेतन साधारणतः निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने वालों के जीवन काल तक दिया जाता है तथा निवृत्ति-वेतन देय के लिये हम ने सम्राट् की सरकार को लगभग २२४ करोड़ रुपये की राशि एक ही बार दे दी है ।

श्री आर० के० चौधरी : एक ही बार रक़म देने का उद्देश्य क्या था ? क्या यह प्रति वर्ष नहीं दी जा सकती थी जिस से कि अन्य कार्यों के लिये धन बच रहता ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है । वह केवल अपना प्रश्न पूछें ।

श्री आर० के० चौधरी : किसी व्यक्ति के जीवन काल का मोटे आधार पर हिसाब लगा कर एक मुश्त रक़म के देने का क्या उद्देश्य था ? ऐसा करने का उद्देश्य क्या था ?

श्री सी० डी० देशमुख : अपने देय के सम्बन्ध में दृढ़ व्यवस्था करना ।

पंडित एम० बी० भार्गव : प्रति वर्ष कितने पौण्ड पावने को राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यों तथा भारी मशीनों के आयात के लिये काम में लाया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : एक मुश्त रक़म दे देने के पश्चात् क्या सरकार व्यक्तियों को निवृत्ति-वेतन देने के अग्रेतर उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत, अर्थात् रक़म के दिये जाने के पश्चात्, हमें ब्रिटिश सरकार से वार्षिकी मिलती है जो कि निवृत्ति-वेतन के भुगतान के लिये हमारे वार्षिक देय के बराबर ही होती है : अतः यह एक बिल्कुल वित्तीय व्यवस्था है ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा कहना यह है कि क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा

*२७६. **श्री ऐस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१–५२ में से प्रत्येक में बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के विकास के लिये कितनी रक़मों की आयव्ययकों में व्यवस्था की गई ;

(ख) इन वर्षों में, वास्तव में, कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) वित्तीय संकट के कारण क्या बाद में आयव्ययक सम्बन्धी मांगों में कटौती कर दी गई थी ;

(घ) सन् १९५२–५३ के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; तथा

(ङ) सब बातों को ध्यान में रखते हुये अब तक बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी उन्नति हुई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क), (ख) तथा (ङ)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ग) जी हां।

(घ) पंचवर्षीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत सन् १९५२–५३ के आयव्ययक में प्रारम्भिक रूप से बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिये १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री ऐस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि जो हिस्सा सन् १९५२-५३ के लिये मुक़र्रर कर दिया गया था क्या वह प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) के मुताबिक़ है।

श्री जगजीवन राम : क़रीब क़रीब उस के मुताबिक़ है, लेकिन और भी अधिक की आवश्यकता होगी तो आशा की जाती है कि उस का प्रबन्ध हो जायगा।

श्री ऐस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि कुल कितने एजकेशनल मेले खोले गये और स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, किन किन गवर्नमेंटों से खोले गये ?

श्री जगजीवन राम : इस के लिये तो सूचना नोटिस आने पर एकत्रित की जा सकती है।

श्री ऐस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अलीपुर में जो जनता कालेज खोला गया है और उस में जो ग्राम वासियों को शिक्षा दी जाती है, उस का क्या करीक्युलम (पाठ्यक्रम) है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार से बाहर की बात होगी।

श्रीमती खोंगमन : बुनियादी शिक्षा में अब तक कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

श्री जगजीवन राम : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्रीमती खोंगमन : बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण देने के लिये कितने केन्द्र हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कदाचित्, इन समस्त प्रश्नों के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी।

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण

*२७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितने भूतपूर्व सैनिकों ने प्रविधिक तथा औद्योगिक धन्धों का प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

(ख) उन में से कितने भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सेनाओं के सैनिक थे ; तथा

(ग) प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिकों ने जो व्यवसाय अपनाया क्या उस को चलाने के लिये उन्हें सरकार से कोई सहायता अथवा ऋण मिला ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) सन् १९५१-५२ वर्ष में ३६६ भूतपूर्व सैनिकों ने व्यावसायिक, प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन् १९५०-५१ के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) उपरोक्त संख्या में से ३३९ भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सेनाओं

के सैनिक थे—हैदराबाद के (१३५), पैप्सू के (१४०) तथा राजस्थान के (६४)।

(ग) उन्हें उचित काम-धन्धों में लगाने के लिये, राज्य सरकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कोष अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अन्य अनुदानों में से व्यक्तिगतरूप से अथवा सहकारिता के आधार पर ऋण दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेवा-योजनालय भी इन व्यक्तियों को नौकरी प्राप्त करने में सहायता देते हैं।

श्री ऐस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा विभाग अथवा श्रम मंत्रालय की संस्थाओं में प्रशिक्षित किया गया ?

श्री गोपालस्वामी: श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री ऐस० सी० सामन्त: सन् १९५०-५१ में कितने भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया ?

श्री गोपालस्वामी: दुर्भाग्यवश, यही एक ऐसा वर्ष है जिस में भूतपूर्व सैनिकों को असैनिकों के साथ भर्ती किया गया था। उस वर्ष विशेष के सम्बन्ध में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री गुरुपादस्वामी: मैसूर से आने वाले कितने भतपूर्व सैनिकों को सरकार ने प्रशिक्षण की सुविधाओं से वंचित रखा ?

श्री गोपालस्वामी: मुझे भय है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री हुक्म सिंह: भाग (क) में के राज्यों से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये नहीं आये क्या इस का कोई विशेष कारण है ?

श्री गोपालस्वामी: इस सम्बन्ध में मैं कोई सूचना देने की स्थिति में नहीं हूं। कदाचित् बहुत सी अन्य संस्थायें भी हैं यहां वह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह: यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी पेशे को अपना ले और उसे चलाना चाहे अथवा वह सहकारिता के आधार पर फ़ार्म खोलना चाहें तो सरकार उस की अथवा उन की किस सीमा तक सहायता करने का विचार रखती है ?

श्री गोपालस्वामी: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

डा० पी० ऐस० देशमुख: अब तक कितने फ़ी सदी भतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री गोपालस्वामी: यह बतलाना कठिन है क्योंकि इस समय मेरे पास भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या नहीं है।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐक्स सर्विसमैन (भूतपूर्व सैनिक) को क़र्जा (ऋण) या मदद दी गई ?

श्री गोपालस्वामी: जब भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो उन को सहायता दी जाती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को २५ रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा यदि उपलब्ध हो तो साथ ही रहने को मुफ्त में निवास स्थान तथा डाक्टरी सहायता भी दी जाती है।

तम्बाकू पर उत्पादन कर

*२७८. **श्री ऐस० सी० सामन्त**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९४७ से सन् १९५१ तक (वर्ष प्रति वर्ष) बीड़ी बनाने के काम में लाये जाने वाले तम्बाकू से कितनी रक़म उत्पादन-कर के रूप में प्राप्त हुई; तथा

(ख) इन वर्षों में अनुज्ञा शुल्क से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक (अप्रैल से मार्च तक) के वित्तीय वर्षों में बीड़ी बनाने के काम में लाये जाने वाले तम्बाकू से जो राशि उत्पादन कर के रूप में प्राप्त हुई वह इस प्रकार है:

वर्ष	कर की राशि
	रुपये
१९४७-४८	४,४०,०५,०००
१९४८-४९	७,०१,२५,०००
१९४९-५०	६,७४,६४,०००
१९५०-५१	७,७७,५९,०००
१९५१-५२	९,७६,५४,०००

यह सूचना पत्री वर्षों के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

(ख) बीड़ी बनाने वालों के लिये किसी लाइसेंस का लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु तम्बाकू के सब थोक व्यापारियों को चाहे वह बीड़ी बनाते हों अथवा नहीं, अनुज्ञापत्र लेना होता है और इस प्रकार अनुज्ञाशुल्क के रूप में इन व्यापारियों से वर्ष १९४७ से वर्ष १९५१ तक के पत्री वर्षों में प्राप्त की गई राशि इस प्रकार है:

	अनुज्ञाशुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि
	रुपये
१९४७	२३,१२,०००
१९४८	१२,८६,०००
१९४९	१२,७०,०००
१९५०	१३,३५,०००
१९५१	१३,७६,०००

श्री ऐस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वर्ष १९५१-५२ में उत्पादन-कर में परिवर्तन होने के कारण काफ़ी गड़बड़ी हो गई है ?

श्री त्यागी: जी नहीं, श्रीमान्।

श्री ऐस० सी० सामन्त: क्या माननीय मं ी को उत्पादन-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में बीड़ी बनाने वाली छोटी छोटी फ़ैक्टरियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री त्यागी: प्रति महीने किसी न किसी कारण अभ्यावेदन प्राप्त होते ही रहते हैं। पहले यह मांग की गई थी कि हम तम्बाकू की पत्ती पर समदर पर कर लगायें। इस का छोटे बीड़ी बनाने वालों ने विरोध किया तथा संसद् के सदस्यों ने भी। बाद में फिर मांग की गई कि समदर पर ही कर लगाया जाये। इस प्रकार अभ्यावेदन तो आते ही रहते हैं किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशेष अभ्यावेदन के सम्बन्ध में जानने के लिये आतुर हैं तो हो सकता है कि उस विशेष अभ्यावेदन की जांच कर के उन्हें सूचना दूं।

श्री सिंहासन सिंह: कितनी एकड़ भूमि पर तम्बाकू की खेती की जाती है ?

श्री त्यागी: मुझे खेद है कि मेरे पास भूमि सम्बन्धी आंकड़े नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र को बतला सकता हूं कि कितना तम्बाकू उत्पन्न किया गया क्योंकि मेरा सम्बन्ध उत्पन्न की गई वस्तु से रहता है; भमि सम्बन्धी कार्य तो राज्य सरकारें करती हैं।

श्री आर० के० चौधरी: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या बीड़ी पर कर बढ़ा देने के कारण राजस्व में कोई वृद्धि हुई है तथा क्या सिगरेटों की बजाय बीड़ियों की खपत बढ़ गई है ?

श्री त्यागी : यह पता लगाना कि बीड़ियों की मांग बढ़ गई है अथवा सिगरेटों की मांग बढ़ गई है बहुत कठिन है किन्तु एक बात अवश्य ही हुई है कि गत वित्तीय वर्ष में राजस्व में वृद्धि हो गई है ।

श्री ऐम० ऐम० गांधी : क्या यह बात सच है कि जो आदिवासी प्रदेश हैं उन में तम्बाकू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन-शुल्क) कम ली जाती है ?

श्री त्यागी : किसी जगह भी कम ज्यादा नहीं है । लेकिन जिस जगह के लोग हुक्का ज्यादा पीते हैं वहां पर लोगों के इस्तेमाल करने के वास्ते कुछ तम्बाकू छोड़ दी जाती है जिस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती । आदिवासी देशों में शायद ज्यादा छोड़ी जाती होगी, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा हुक्का पीते हैं ।

श्री आर० बी० परमार : : चिलम में पीने की तम्बाकू पर जो ड्यूटी (शुल्क) ली जाती है वह क्या राजस्थान और मध्य-भारत में सिर्फ़ छः आने फ़ी पौंड है जबकि पंचमहाल में १४ आने फ़ी पौंड है ; इ/ का सुधार सरकार करेगी ?

श्री त्यागी : तम्बाकू के ऊपर जो ड्यूटी ली गई है पहले तो वह ऐसे थी कि किस चीज़ में तम्बाकू इस्तेमाल होगी इस हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती थी, इंटेनशन (आशय) पर लगती थी कि क्या उन की नियत है, बीड़ी में इस्तेमाल करेंगे या हुक्के में । लेकिन पिछले फ़ायनेन्स बिल (वित्त विधेयक) के अन्दर यह तय हो गया था कि ख्वाहिश पर कि कहां इस्तेमाल करेंगे, इस पर ड्यूटी नहीं लगाई जायगी बल्कि तम्बाकू की हैसियत को देखा जायगा । अगर तम्बाकू बीड़ी में इस्तेमाल करने लायक़ है तो उस पर ज्यादा ड्यूटी लगेगी और हुक्के में इस्तेमाल करने वाली है तो उस पर कम डूयूटी लगेगी ।

नाथ बैंक लिमिटेड

*२७९. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री ३ मार्च, १९५२ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९६ के भाग (च) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलायेंगे कि नाथ बैंक लिमिटेड के समापन-अधिकारियों ने जो ३० लाख रुपये की राशि जमा की है उस में से कितनी समझौता करके अर्थात् जमा की गई राशि में से उधार दी गई राशि को निकाल कर के प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : समापन-अधिकारी उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार काम करते हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में सूचना देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या रिज़र्व बैंक के लिये यह सूचना देना सम्भव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह अब तर्क कर रहे हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन के लिये रचनात्मक योजनायें

*२८०. **कुमारी आनी मस्करीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये किसी रचनात्मक योजना पर या अन्यथा कोई धन राशि व्यय की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : वर्ष १९४८-४९ से वर्ष १९५१-५२ तक के सम्बन्ध में जो कुछ भी सूचना उपलब्ध है उस का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०**]

कुमारी आनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या राज्य ने न अनुदानों में कोई अंशदान दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: अधिकतर जी० ऐम० ऐफ़० अनुदानों में राज्य सरकारें अपना स्वयं का अंशदान देती हैं।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है कि वहां कार्य के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं । सरकार कोई पूछताछ नहीं करती है, किन्तु इस बात के सम्बन्ध में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि योजना आयोग उन विभिन्न योजनाओं की कार्यान्विति पर दृष्टि रखती है जिन के लिये राज्य सरकारों को केन्द्र से सहायता दी जाती है।

बाज़ार में मन्दी

*२८१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बाज़ार में मन्दी आने के क्या कारण हैं;

(ख) किन किन वस्तुओं पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा है;

(ग) देश के समूचे आर्थिक ढांचे पर मन्दी का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) मन्दी के बढ़ जाने की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं; तथा

(ङ) क्या फिर से मन्दी होने की कोई सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क), (ग) तथा (घ) । माननीय सदस्य का ध्यान २३ मई, १९५२ को दिये गये मेरे आयव्ययक भाषण की ओर दिलाया जाता है।

(ख) उपलब्ध सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि काली मिर्च, चाय, गुड़, वनस्पति, तेल तथा तिलहन, कपास, कच्चा ऊन, कच्चा पटसन तथा पटसन की वस्तुओं पर मूल्यों में हुये हाल के उतार चढ़ाव का विशेष प्रभाव पड़ा ।

(ङ) सरकार द्वारा निर्यात तथा नियंत्रण के ढ़ीला कर दिये जाने से वस्तुओं की मांग के फिर से बढ़ जाने की सम्भावना है । फिर भी, भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विदेशों में मूल्य क्या रहते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या माननीय मंत्री सदन को यह बतलाने की स्थिति में हैं कि विशेषतः इन्हीं वस्तुओं पर अधिक प्रभाव क्यों पड़ा ?

श्री सी० डी० देशमुख: सामान्य उत्तर देना कठिन है । कुछ निर्यात की वस्तुएं हैं जबकि कुछ को देश में उत्पन्न कर के देश ही में काम में लाया जाता है । मेरे विचार से इस का सामान्य उत्तर यह होगा कि मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन हुआ होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : म ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मन्दी का देश के कुछ वर्गों ने स्वागत किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री पुन्नूस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मन्दी भारत सरकार द्वारा की गई क्रियाकारी कार्यवाही के कारण हुई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : : अपने भाषण में मैं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जिस को मन्दी कहा जाता है वह अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही बातों के कारण आई है । अतः सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर इस का केवल कुछ ही उत्तरदायित्व है ।

श्री झुनझुनवाला: क्या फुटकर मूल्यों म भी कोई कमी हुई थी और हुई थी तो किस सीमा तक ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मेरे विचार से वर्तमान उपलब्ध तथ्यों को देखते हुये कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है। आशा की जाती है कि कुछ समय पश्चात् इस मन्दी का असर फुटकर मूल्यों पर भी पड़ेगा।

डा० जयसूर्य: प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में —मन्दी का क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि पश्चिमी देशों में सामान जमा कर रखने की अन्तिम सीमा पहुंच गई है।

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, अपने भाषण में मैं ने अन्तर्राष्ट्रीय बातों का उल्लेख किया था तथा मैं उन्हें यहां भी बतलाये देता हूं। उन में से एक कारण संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सामान को संग्रह करने के कार्यक्रम में परिवर्तन का किया जाना है। पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम को अधिक समय के लिये बढ़ाना, दुर्लभ कच्चे सामान के नियतन में अन्तर्राष्ट्रीय सामान सम्मेलन को मिली सफलता तथा संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुओं की मात्रा का बढ़ जाना जो पहले कम मात्रा में उपलब्ध थीं ; अन्य कारण हैं।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने बागानों वाली फ़स्लों के मूल्यों में तेज़ी से आने वाली मन्दी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक चाय का सम्बन्ध है—मेरे विचार से यह भी एक बागान फ़स्ल है—हम चाय उद्योग की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक टोली भेज रहे हैं। मैं किसी दूसरी ऐसी बागान फ़स्ल को नहीं जानता जिस के सम्बन्ध में किसी विशेष जांच करने की आवश्यकता हो।

चौ० रणबीर सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गुड़, पटसन तथा कपास में मन्दी आने के क्या कारण हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं दोनों ही मांग और पूर्ति पर निर्भर करती हैं।

श्री ऐम० वी० रामस्वामी: क्या फुटकर मूल्य कुछ कम हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पूछा जा चुका है तथा इस का उत्तर भी दिया जा चुका है—इस रूप में नहीं बल्कि और रूप में।

श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार मूल्य घटाने के सम्बन्ध में, जैसा कि मेरा विचार है कि वह घटाना चाहती है, क्या कार्यवाही कर का विचार रखती है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस प्रश्न से मिश्रित दृष्टिकोणों का भास होता है। मुझ से मन्दी के कारण बतलाने के लिये कहा गया और अब यह पूछा जा रहा है कि मूल्यों में और अधिक कमी कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: मैं ने कई बार आप का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु प्रत्येक सदस्य को सफलता मिल ही जायेगी इसकी कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई है। जब तक सफलता न मिले तब तक वह प्रयत्न कर सकते हैं।

मतदान की प्रतिशतता

***२८२. डा० पी० ऐस० देशमुख : क्या विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हुए निर्वाचनों में राज्यवार ऐसे मतदाताओं की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों तथा लोक सभा के निर्वाचन में मतदान दिये ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : निर्वाचन आयोग के पास जितने आंकड़े उपलब्ध हैं उन के आधार पर हाल ही में हुए निर्वाचनों में राज्यवार ऐसे मतदाताओं की, जिन्होंने राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों तथा लोग सभा के निर्वाचन में मतदान दिये, प्रतिशतता सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

डा० पी० ऐस० देशमुख : क्या उन राज्यों में मतदान की प्रतिशतता में कमी होने के कारण ज्ञात करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

डा० काटजू : मेरे विचार से इस का यही कारण हो सकता है कि मतदाता मतदान के स्थान पर जा कर मतदान करने का कष्ट उठाना नहीं चाहता ।

सैनिक डेरी फार्म

***२८३. कर्नल जैदी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५० में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा गया था कि समस्त सैनिक डेरी फ़ार्मों को कृषि मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिय कोई समिति नियुक्त की गई थी ; तथा

(ग) यदि नियुक्त की गई थी, तो समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशें क्या हैं तथा क्या इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) से (ग) । अनुमानतः माननीय सदस्य सन् १९४७ में कृषि मंत्रालय द्वारा रखे गये उस सुझाव का निर्देश कर रहे हैं जिसमें सैनिक डेरी फ़ार्मों को उस के सुपुर्द कर दिये जाने की बात रखी गई थी । दोनों मंत्रालयों के बीच चर्चा होने के पश्चात् क्वाटर-मास्टर जनरल के सभापतित्व में एक समिति, सैनिक डेरी फ़ार्मों के सामान्य कार्यसंचालन, उन में पशुओं की नस्ल बढ़ाने तथा पशुओं में सुधार करने के सामान्य प्रश्नों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई । समिति के निर्देश-पदों में यह प्रश्न सम्मिलित नहीं था कि सैनिक डेरी फ़ार्मों को कृषि मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये । समिति की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार थीं —

(१) प्रविधिक योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी चारा विशेषज्ञ की नियुक्ति ।

(२) चारे के सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र आत्मनिर्भर होना ।

(३) विभिन्न सैनिक डेरी फ़ार्मों के पास जो भूमि है उस का अधिक से अधिक उत्पादन करने में प्रयोग करना तथा विभिन्न फ़ार्मों की और अधिक भूमि में सिंचाई करना ।

(४) सैनिक डेरी फ़ार्मों में वर्तमान अधूरी इमारतों को पूरा कराना ।

(५) नस्ल बढ़ाने की नीति के सम्बन्ध में—दोग़ली नस्ल को धीरे धीरे ख़त्म करना तथा देशी नस्लों के विकास की ओर अधिक ध्यान देना ।

(६) कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाना ।

(७) सुयोग्य कर्मचारियों को भर्ती करना ।

(८) समस्त सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दूध के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।

उपरोक्त संख्या (१) को छोड़ कर, इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है या की जा रही है ।

कर्नल जैदी : क्या यह सत्य है कि इन डेरी फ़ार्मों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की अनेक शिक़ायतें की गई हैं ? क्या गत दो वर्षों में ऐसे अनेक व्यक्ति निकाले गये हैं तथा ऐसे कितने निरीक्षकों के विरुद्ध अब भी मामले चल रहे हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

कर्नल जैदी : यह निरीक्षक जिस प्रकार के आयव्ययकों का निरीक्षण करते हैं क्या मैं उन के बारे में कुछ ज्ञात कर सकता हूं ? क्या आयव्ययक १० से १५ लाख रुपयों तक के होते हैं, और यदि होते हैं तो क्या इन अधिकारियों पर जो उत्तरदायित्व डाला जाता है वह उन के वेतन के सममात्रिक होता है ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, मुझे भय है कि मुझे इस प्रश्न के लिये भी पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

कर्नल जैदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन डेरी फ़ार्मों के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं ? मेरा मतलब है कि क्या वह कृषि विषय के स्नातक होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें डेरी फ़ार्म चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है अथवा वह केवल साधारण अधिकारी होते हैं जिन्हें पदोन्नति करके उन स्थानों पर बैठा दिया जाता तथा उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है ?

श्री गोपालस्वामी : इस का उत्तर देने के लिये वर्तमान कर्मचारियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी । मैं ऐसा करूंगा और यदि फिर से प्रश्न पूछा गया तो उस का उत्तर दूंगा ।

सुवर्ण प्रस्तर

*२८४. **डा० नटवर पांडे : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड बांध के ठीक ऊपर महानदी की सूखी तह में क्या हाल ही में सुवर्ण प्रस्तर का पता लगा है ; तथा

(ख) यदि लगा है, तो क्या धातु का ठीक से विश्लेषण किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) । जी नहीं, श्रीमान् । भारत के भूतत्वीय परिमाप संचालक का कहना है कि कुछ लोगों ने उस क्षेत्र की चट्टानों में पाई गई सलफ़ाइड धातु के छोटी छोटी पत्तरों को सोना समझ लिया था । कलकत्ता स्थित भारत की भूतत्वीय परिमाप प्रयोगशाला में नमूने के टुकड़ों का परीक्षण किया गया था किन्तु उन में कोई सोना नहीं पाया गया ।

डा० नटवर पांडे : क्या माननीय मंत्री रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : मुझे ज्ञात नहीं कि कोई रिपोर्ट है भी या नहीं किन्तु यह पाया गया था कि उस में कोई सोना नहीं था ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दिल्ली के आस पास कहीं सुवर्ण प्रस्तर मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री मेघनाद साहा: खोज करने आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय: वह कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे रहे हैं ।

अगला प्रश्न ।

महानदी का भूतत्वीय परिमापन

*२८५. **डा० नटवर पांडे**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे:

(क) हीराकुड बांध की चोटी के ठीक ऊपर क्या महानदी की तह का भूतत्वीय परिमापन किया गया है ; तथा

(ख) यदि किया गया है, तो क्या सरकार का विचार परिमापन की रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने का है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख)। भारतीय भूतत्वीय परिमाप अधिकारी इस समय हीराकुड बांध के आसपास वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तृत नक्शे तैयार करने में लगे हुये हैं । कार्य समाप्त करने में कई महीने लगेंगे तथा आशा की जाती है कि कुछ महीनों में अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी । यह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी। अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसे सदन के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा: क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि उड़ीसा के भूतत्वीय परिमाप वाले नक्शे में एक बहुत बड़ा भाग खाली छोड़ दिया गया है जिस का अर्थ यह होता है कि वहां पर कभी भी परिमापन कार्य नहीं किया गया है न ही भूतत्वीय परिमाप का कोई अधिकारी वहां गया है ? अतः इस प्रदेश का पूर्णरूप से परिमापन करने के लिये क्या सरकार अधिक भूतत्वीय अधिकारियों को काम पर लगाने की बांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम: सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

हिन्दुस्तानी आशु-लिपि तथा टाइपराईटिंग

*२८६. **प्रो० अग्रवाल**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तानी आशु-लिपि तथा टाइपराइटिंग के सम्बन्ध में संविधान सभा की समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): जन साधारण की आलोचना तथा सुझाव ज्ञात करने के लिये रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया है । समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट हिन्दी आशु-लिपि की चार प्रणालियों तथा उस के द्वारा हिन्दी के टाइप राइटरों के लिये बनाये गये प्रमाप की बोर्डों को, समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है तथा शीघ्र ही इन के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया जायेगा ।

जो राज्य सरकारें अंग्रेज़ी आशु-लिपि में निपुणता परीक्षायें लेती हैं उन से कहा गया है कि वह साथ ही साथ हिन्दी आशु-लिपि में भी निपुणता परीक्षायें लें ।

वाणिज्य तथा व्यापार प्रशासन के प्रविधिक अध्ययन सम्बन्धी अखिल भारतीय-पर्षद् की एक समिति से, आशु-लिपि की उन प्रणालियों को छोड़ कर जिन पर संविधान सभा की समिति पहले ही विचार कर चुकी है, अन्य प्रणालियों की उपयोगिता ज्ञात करने के लिये कहा गया है । यह समिति राष्ट्र भाषा तथा अन्य विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिये आशु-लिपि की सामान्य प्रणाली निकालने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

प्रो० अग्रवाल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार द्वारा प्रमाणित हिन्दी की बोर्ड के सम्बन्ध में कब तक निश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

श्री जगजीवन राम : श्रीमान्, मुझे आशा है कि निश्चय बहुत शीघ्र ही किया जाने वाला है ।

प्रो० अग्रवाल : सचिवालय के आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपराइटिंग सिखलाने के लिये क्या सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री जगजीवन राम : मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता किन्तु बहुत सी ग़ैर-सरकारी संस्थायें हैं जहां इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं तथा काफ़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि एक दूसरी समिति हिन्दुस्तानी तथा प्रादेशिक भाषाओं की आशुलिपि प्रणालियों की उपयोगिता की जांच कर रही है । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह समिति अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिये भी टाइपराइटिंग की प्रणालियों पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : उस पर भी विचार किया जायेगा ।

चलचित्र जांच समिति

*२८७. **प्रो० अग्रवाल :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने चल चित्र जांच समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि हाल की बहुत से हिन्दी चलचित्रों में राजनैतिक तथा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये हिंसात्मक तरीक़ों का जिस में डकैती डालना भी सम्मिलित है, प्रयोग करना दिखलाया गया है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुये चलचित्र जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) सरकार के सामने कोई विशेष मामले नहीं आये हैं । फिर भी, केन्द्रीय चलचित्र नियंत्रण पर्षद् से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ हिन्दी फ़िल्में, जिनके कुछ भागों की मैं कह चुका हूं कि जहां तक सम्भव होता है पर्षद हिंसा का प्रदर्शन करने वाले भागों को काट देने का प्रयत्न करता है तथा पर्षद प्रत्येक फ़िल्म पर उसके गुणों के अनुसार विचार करता है ।

प्रो० अग्रवाल : क्या यह तथ्य है कि ऐसी एक फ़िल्म को अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र मेले में दिखाये जाने के लिये चुना गया थ ?

डा० केसकर : मैं नहीं कह सकता कि हिंसा का प्रतिपादन करने वाला कोई फ़िल्म अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म मेले के लिये चुनी गई थी । जैसा कि मैं ने कहा, जहां तक सम्भव होता है पर्षद हिंसा के दृश्यों को निकाल देने की चेष्टा करता है और प्रत्येक फ़िल्म की उस के गुणों के अनुसार जांच की जाती है ।

प्रो० अग्रवाल : क्या चलचित्र जांच समिति की सिफ़ारिशों के क़ार्यान्वित होने तक, सरकार ने नियंत्रण पर्षद को नियंत्रण को कड़ा करने के लिये कोई अन्तरिम अनुदेश भेजे हैं ?

डा० केसकर : मेरे माननीय मित्र को मिथ्या आशंका हो रही है । नियंत्रण कड़ा करने के प्रश्न से चलचित्र जांच समिति की रिपोर्ट का कुछ अधिक सम्बन्ध नहीं है । गत वर्ष सदन द्वारा पारित किये गये चलचित्र अधिनियम तथा सरकार द्वारा उसे

भेजी गई कुछ हिदायतों के अन्तर्गत नियंत्रण विनियम बनाये गये हैं। निस्सन्देह, जांच समिति की रिपोर्ट में इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं किन्तु इस के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्देश नहीं दिया गया है।

सेठ गोविन्द दास : इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कितने दिनों से सरकार के सामने है और इस सम्बन्ध में कितने राज्यों से अब तक राय पहुंच चुकी है ?

डा० केसकर : समिति १ सितम्बर, १९४९ को बनाई गई थी तथा उस ने अपनी रिपोर्ट १५ मार्च, १९५१ को दे दी थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार ने राज्य सरकारों के पास इस आशय का एक परिपत्र भेज दिया है कि वह समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करें। मैं माननीय मित्र का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि रिपोर्ट काफ़ी लम्बी है तथा जो सिफ़ारिशें की गई हैं वह भी जटिल सी हैं—कुछ के सम्बन्ध में विधान पारित करने की आवश्यकता है, कुछ की ओर जिनका सम्बन्ध विभिन्न आर्थिक समस्याओं से है जैसे कर को बढ़ाना या घटाना राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराना है। अतः राज्य सरकारों से उत्तर और उनके सुझाव प्राप्त होने में कुछ देर लग गई है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सत्य है कि बहुत सी फ़िल्मों का, जिन में अगस्त १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन को दिखलाया गया है, केन्द्रीय फ़िल्म नियंत्रण पर्षद की हिदायतों के अन्तर्गत दिखलाया जाना बन्द कर दिया गया है ?

डा० केसकर : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री एम० वी० रामस्वामी : क्या यह सत्य है कि कुछ समय से फ़िल्मों में अधिक लैंगिक भावनाओं को दिखाया जाने लगा है और यदि यह तथ्य है तो सरकार ने उन पर नियंत्रण लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डा० केसकर : मैं उन माननीय सदस्य का ध्यान, जो आजकल दिखलाई जाने वाली फ़िल्मों के सम्बन्ध में आलोचना करना चाहते हैं, इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब यह विधेयक सदन के सन्मुख था (जब चलचित्र विधेयक पर विचार हो रहा था) तो सदन ने ही सरकार से यह अधिकार स्पष्ट रूप से छीन लिया था कि वह किसी फ़िल्म के दिखलाये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम शब्द कह सकती है अथवा नहीं तथा उसने इस अधिकार को केन्द्रीय फ़िल्म नियंत्रण पर्षद को दिये जाने पर आग्रह किया था। मेरे विचार से सरकार को इस बात के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि नियंत्रण पर्षद किस प्रकार की फ़िल्मों के दिखलाये जाने की अनुमति देता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार नियंत्रण की वर्तमान दक़ियानूसी प्रणाली को जिसके कारण सिनेमा उद्योग की प्रगति में बाधा पड़ रही है, दूर करने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी ?

डा० केसकर : श्रीमान्, इस बात पर तो सदन को विचार करना है कि वर्तमान प्रणाली को रखा जाना चाहिये अथवा नहीं।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या फ़िल्मों पर नियंत्रण लगाते समय राजनैतिक विचारों का ध्यान रखा जाता है—मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस का प्रचार करने वाली तथा साम्यवाद का प्रचार करने वाली फ़िल्मों के बीच ?

डा० केसकर: श्रीमान्, यह बात केन्द्रीय फ़िल्म नियंत्रण पर्षद के सदस्यों पर निर्भर करती हैं कि उनके राजनैतिक विचार कैसे हैं। किन्तु, यदि मेरे माननीय मित्र सदस्यों के नामों की सूची को देखें तो वह पायेंगे कि उन का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है।

राष्ट्रीय आय समिति

*२८८. **श्री एस० एन० दास:** क्या वित्त मंत्री १३ फ़रवरी १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलायेंगे;

(क) क्या अब तक राष्ट्रीय आय समिति की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि नहीं प्राप्त हुई है, तो समिति अपना कार्य समाप्त करने के लिये अभी कितना समय और लेगी; तथा

(ग) यदि रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं तो समिति द्वारा सुझाये गये महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन से हैं जिन के सम्बन्ध में निकट भविष्य में कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अनुमान किया जाता हैं कि समिति निकट भविष्य में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे देगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समिति की पहली रीपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के समय से अब तक सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय आय क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य करने को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, राष्ट्रीय आय समिति के निर्देश पदों में उपलब्ध आंकड़ों को और अच्छा बनाने तथा और आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करने के उपाय तथा राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में अग्रेतर अनुसन्धान करने के साधन सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में उस की सिफ़ारिशों को हम आने वाली रिपोर्ट में प्राप्त होने की आशा कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान् मैं ज्ञात कर सकता हूं जैसा कि समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में सुझाव दिया था—कि राष्ट्रीय आय क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य करने के लिये क्या गैर सरकारी विशेषज्ञों को सूचना दी जाती है?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान् मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य पहली रिपोर्ट के किस भाग की ओर संकेत कर रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि उस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्यवाही की भी गई है अथवा नहीं।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विदेशी विशेषज्ञों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय समिति ने इस सम्बन्ध में अन्य प्रमुख विशेषज्ञों से बातचीत की है?

श्री० सी० डी० देशमुख: स्थिति यह है कि भारतीय विशेषज्ञ स्वयं समिति के सदस्य थे।

राष्ट्रीय आय एकक

*२८९. **श्री एस० एन दास:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि राष्ट्रीय आय एकक को

वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध करके एक स्थायी कार्यालय के रूप में जारी रखा जाये ; तथा

(ख) इस विभाग के कार्य संचालन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय समिति ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) श्रीमान्, अभी तक नहीं । राष्ट्रीय आय समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

(ख) राष्ट्रीय आय समिति की सिफ़ारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । निकट भविष्य में उन के प्राप्त होने की आशा है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का संग्रह किया है उस के फलस्वरूप यह विभाग बढ़ा दिया गया है अथवा निकट भविष्य में इसके बढ़ा दिये जाने की सम्भावना है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, अभी तक इस विभाग को बढ़ाया नहीं गया है । भविष्य में इस के बढ़ाये जाने की सम्भावना इस बात पर निर्भर करती है कि समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट में किस प्रकार की सिफ़ारिशें करेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजा भोज का लौह स्तम्भ

*२९०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री राजा भोज के लौह स्तम्भ के बारे में २८ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा यह बतलायेंगे कि क्या अब तक वह स्तम्भ मरम्मत करवा कर खड़ा करा दिया गया है ;

(ख) यदि खड़ा करवा दिया गया है, तो उस पर लागत क्या आई है ; तथा

(ग) यह कार्य किस के द्वारा करवाया गया ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

प्रलेखीय चलचित्र

*२९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १८ दिसम्बर, १९५० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के सम्बन्ध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये वचन के अनुसार प्रलेखीय चलचित्रों के व्यापारिक आधार पर वितरण किये जाने का प्रबन्ध किन किन देशों में किया गया है ;

(ख) प्रलेखीय चलचित्रों को समझाने के लिये किस भाषा का प्रयोग किया गया है ; तथा

(ग) विदेशों को भेजी गई इन फ़िल्मों की संख्या में क्या कोई अग्रेतर वृद्धि हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ४ मार्च, १९५२ को सदन पटल पर रखे गये उस विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है जो १८ दिसम्बर, १९५० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के सम्बन्ध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था ।

(ख) चलचित्र डिवीज़न केवल हिन्दी, तामिल, तेलगू,-बंगाली तथा अंग्रेज़ी में चलचित्र तैयार करता है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

सेवा काल में वृद्धि

*२९२. **श्री एन० एस० जैन :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितने केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों

तथा उन के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की अवकाश ग्रहण आयु से आगे उन के सेवाकाल को बढ़ाया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं कि इन इन शर्तों पर सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है ; तथा

(ग) यदि बनाये गये हैं तो क्या सरकार उन की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) गृह कार्य मंत्रालय ने सन् १९४९ में ४६,१९५० में ७२ तथा १९५१ में ६१ अधिकारियों के सेवाकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी थी ।

इन में से ४१ अधिकारी ऐसे थे जिन का सेवाकाल एक बार से अधिक बढ़ाया गया था ।

(ख) तथा (ग) : समय समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है [।**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२**]

विदेशों में भारतीय छात्र

***२९३. श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य की सहायता से इस समय कितने भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ;

(ख) किन किन विषयों में वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ;

(ग) कितने छात्र कृषि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं ; तथा

(घ) सन् १९५२-५३ में विदेशों में कितने छात्रों के भेजे जाने की सम्भावना है ?

संचरण-मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : इस सम्बन्ध में एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३**]

केन्द्रीय उत्पाद कर

३९. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में "तम्बाकू" शीर्षक तथा "तैयार की गई" तथा "तैयार न की गई" उप शीर्षकों के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद कर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४**]

निवृत्ति-वेतन नियम

४०. श्री यू० सी० पटनायक : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में लागू होने वाले निवृत्ति वेतन नियम बना लिये गये हैं ;

(ख) यदि बना लिये गये हैं, तो क्या सरकार इन नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ;

(ग) यदि नियम बनाये जा चुके हैं तो उन्हें अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो अभी तक कोई नियम क्यों नहीं बनाये गये हैं ; तथा

(ङ) आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिये निवृत्ति-वेतन नियमों के प्रकाशित होने तक क्या मार्च, १९४९ में किसी आदेश द्वारा उन प्रान्तीय सेवा

अधिकारियों का जो पहले सूची में दिये गये पदों पर काम करते थे तथा जिनकी नियुक्ति आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में कर दी गई थी, अतिरिक्त निवृत्ति-वेतन बन्द कर दिया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं ।

(घ) जब तक केन्द्रीय सेवाओं के लिये इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें प्राप्त नहीं हो गई थीं तब तक आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिये निवृत्ति सुविधाओं सम्बन्धी नियमों के विषय में कोई निश्चय करना सम्भव नहीं था । अखिल भारतीय सेवाओं को कौन कौन सी निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहियें इस के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत करके व्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ङ) जी हां । केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों में से यह भी एक सिफ़ारिश थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि उन अतिरिक्त निवृत्ति-वेतनों को बन्द कर दिया जाये जो कि पहले कुछ पदों पर काम करने वालों को मिलता था ।

भारत में स्कूल और कालिज

४१. डा० पी० एस० देशमुख : (क) **क्या शिक्षा** मंत्री भारत में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों तथा कालिजों और उन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) वह आंकड़े किस वर्ष के हैं तथा उन की तुलना उस से पिछले वर्ष के साथ कैसी है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् १९४८-४९ तथा १९४९-५० की अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) संस्थाओं तथा उन में पढ़ने वालों दोनों ही की संख्याओं में बहुमुखी वृद्धि हुई थी ।

किचनर कालेज

४२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **रक्षा** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नौगांव स्थित सैनिक प्रशिक्षण के किचनर कालेज की इमारतों को तब से क्या किसी अन्य कार्य के लिये काम में लाया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : नौगांव स्थित किचनर कालेज की इमारतों को अभी तक किसी काम में लाना संभव नहीं हो सका है । भारत सरकार इस बात पर सक्रिय विचार कर रही है कि किंग जार्ज मिलिटरी कालेज को जालन्धर से नौगांव स्थित इन इमारतों में भेज दिया जाये।

Thursday 29, May, 1952

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—१४]

(मूल्य ६ आने)

312 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन वा, ज़िला इटावा (पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ ज़िला आगरा (पश्चिम)

अचिंत राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिंगलपुट)

अलवा, श्री जोकिम (कनारा)

212 P. S. D

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (ज़िला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई-दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवय्गंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोध्र, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, कादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ़्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदाबाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

पुजारी
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)
बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)
बह्मो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थदत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ—जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म—जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मेनन, श्री के० ए० दामोद (कोझिकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपाति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहाबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बली रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला दैवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र—जारी

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैंडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैकंटारमन, श्री आर० (तजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरठ-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (भंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गीज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुवेद, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवबेश्वर प्रताप)मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग़ पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स—जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ्फ़रनगर उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रह्मण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २९ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा (समाप्त)

पंडित लिंगराज मिश्र (खुर्दा) : मेरा भाषण जो कल अपूर्ण रह गया था उसे आज मैं जो कुछ समय मिला है उसमें पूरा कर दूंगा। मैं ने अपने कल के अपूर्ण भाषण में उड़ीसा तट पर महानदी के मुहाने पर एक बन्दरगाह बनाने तथा रायपुर-विजियानगरम् लाइन पर तलचर से कोनटा बांजी तक रेलवे लाइन बढाने के लिये कहा था। साथ ही मैं ने वर्तमान इस्टर्न रेलवे के पूर्वी तटीय भाग में दोहरी लाइनें बिछाने के लिये कहा था। इस के अतिरिक्त मैं यह भी कह रहा था कि उस रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं। खुर्दा रोड का ही उदाहरण ले लीजिये—वहां केवल एक मिडिल स्कूल है। मेरे विचार में उसे हाई स्कूल कर देना चाहिये तथा प्रविधिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। मेरे विचार से यह प्रविधिक शिक्षा तो समस्त स्कूलों में जारी कर ही देनी चाहिये।

एक दूसरी बात यह है कि रेलवे वर्गीकरण के सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य नहीं हुआ है कि इस के कारण बंगाल में हलचल सी मच गई है। रेल मंत्री जी का कहना है कि रेलवे वर्गीकरण के सम्बन्ध में समस्त राज्यों से परामर्श कर लिया गया था। किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है इस सम्बन्ध में उड़ीसा से कोई बातचीत नहीं की गई थी। उड़ीसा सरकार ने तो खुर्दा रोड में रेलवे के इंजिनियरिंग तथा वाणिज्यिक, अधिकारियों के कार्यालयों को बनाये रखने तथा झारसूगुडा में डिवीजनल प्रधान कार्यालय स्थापित करने की राय दी थी। मैं रेलवे मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि उड़ीसा जैसे राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह इस बात को मान लें, क्योंकि मेरा सम्बन्ध एक लोक-प्रिय दैनिक समाचार पत्र से है इस लिये मेरे पास इस सम्बन्ध में अनेक पत्र आते रहते हैं कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती न करके अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है। मेरे विचार से तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के लिये भी व्यक्तियां को चुनाव पर । चुना जाना चाहिये। इस प्रकार किसी विशेष स्थान पर प्रधान कार्यालय बनाने की मांग भी कम हो जायेगी। तब वह लोग भी भर्ती हो सकेंगे जो प्रधान कार्यालय में काम नहीं करते हैं। अब तो केवल

[पंडित लिंगराज मिश्र]

प्रधान कार्यालय के आस पास के ही लोग भर्ती किये जाते हैं ।

दो वर्ष पहले रेल तथा निर्माण उत्पादन तथा रसद मत्रालयों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया था कि रेल तथा सड़कों के आस पास वाले स्थानों में जमा होने वाले पानी को निकाल कर साफ तालाबों में भर दिया जाया करेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मेरे विचार से ऐसा करने से हम देश की खाद्य समस्या को सुलझाने में सहायता दे सकते हैं हम उन में मछलियां पाल सकते हैं।

रेलवे लाइनों पर पुलियाओं या पुलों के न होने के कारण नदियों के मुहाने वाले क्षेत्रों में बाढ का कष्ट और भी बढ़ जाता है । इसलिये यदि लाइनों के नीचे से पानी निकलने का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाये तो इस से रेलवे को भी लाभ होगा क्योंकि उसे लाइनों की मरम्मत पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ेगा।

अन्त में मैं बंगाल नागपुर रेलवे के सामान बांटने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । उन को क्लर्कों का वेतन दिया जाता है परन्तु यह मान लिया गया है कि उन का काम क्लर्कों का सा नहीं है । उन्हें अधिक वेतन दिया जाना चाहिये ।

ज्ञानी जी०एस० मुसाफिर (अमृतसर) डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह आरोप लगाया है कि रेल मंत्रालय ने कलकत्ते में उत्तर पूर्वी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे के प्रधान कार्यालयों का स्थापित करने के निर्णय को दबाव में आकर बदल दिया । किन्तु, क्योंकि मैं रेलवे परामर्शदात्री परिषद् में कुछ वर्षो से काम करता रहा हूं इस लिये मुझे मालूम है कि उन का ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल गलत है । सत्य तो यह है कि रेल मंत्रालय ने अपने मूल सुझावों में दोनों ही रेलों के प्रधान कार्यालयों को कलकत्ते में रखने का सुझाव रखा था । किन्तु परामर्शदात्री पर्षद ने इसे स्वीकार नहीं किया था । इस का यह अर्थ हुआ कि संसद् ने उसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि परामर्शदात्री परिषद् को तो संसद ही ने नियुक्त किया था। इस प्रकार रेल मंत्रालय पर दोष लगाना ठीक नहीं । यू० पी० उत्तर प्रदेश के ७००० मीलों पर रेलवे लाइन बिछी हुई है । क्या डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वालों को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहते ? उन को इस प्रकार की धमकियां देना शोभा नहीं देता कि यदि ऐसा न हुआ तो वह या उन के साथी ऐसा कर देगें या वैसा कर देंगे आखिरकार, निर्णय तो परामर्शदात्री पर्षद् ही ने किया था । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वयं वर्गीकरण का समर्थन किया था जो लोग वर्गीकरण का विरोध करते हैं उन से मेरा केवल एक सवाल है——क्या वह कोईऐसी योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जिस की ओर कोई उगंली न उठा सके या जो सब को स्वीकार हो ? मेरे विचार से तो इस योजना को प्रयोगात्मिक रुप से चलाया जाये ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी : ने यह भी कहा था कि मुगलसराय में होन वाली डब्बों की वर्तमान अदला बदली के कारण यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी तथा उत्तरी भारत को कोयला न पहुंच सकेगा । मुझे तो इस के बारे में ठीक ठीक स्थिति ज्ञात नहीं है । किन्तु यदि यह बात सत्य है तो भी वर्गीकरण करने के पश्चात् केवल माननीय रेल मंत्री ही इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डाल सकेंगे ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : जिन जिन कठिनाइयों से रेलवे तथा राष्ट्र को गुजरना पड़ा है उन को देखते हुए रेलवे

आयव्ययक वास्तव में संतोषजनक है तथा उस से रेलों की दृढ़ आर्थिक स्थिति का भी पता लगता है ।

किन्तु अब तो हालत बहुत सुधर गई है और ऐसी परिस्थितियों में भाड़े की दर बढ़ाना कहां तक उचित है। रेल के किराये बढ़ाने का असर देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है । वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और अब तो हमें अपने निर्यात को भी बढ़ाना है । इसलिये, यह आवश्यक है कि भाड़ा दर पर पुनः विचार किया जाये।

दूसरी बात यह है कि बड़ी लाइन की दशा तो बहुत कुछ सुधर गई है परन्तु छोटी लाइन में कोई सुधार नहीं हुआ है । अब भी वहां लोग गाड़ियों से लटकते हुये यात्रा करते हैं । किराया बढ़ जाने पर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है । नई लाइनें नहीं बनाई गई हैं । अहमदाबाद से माउण्ट आबू के हिस्से को ही ले लीजिये। एक ही लाइन रहने के कारण माल का यातायात धीमा है तथा चीजों के मूल्य भी बढ़े हुये हैं। यदि वहां पर दुहरी लाइन कर दी जाये तो समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है ।

तीसरी बात यह है कि रेलवे स्टेशनों को बनाने तथा उन की बनावट में हेरफेर करने में बहुत रुपया व्यय कर रही है । मेरे विचार से यह काम आगे के लिये उठा रखा जा सकता है । इस धन को नई लाइनों के खोलने में लगाया जा सकता है । स्टेशनों पर जो लोहा और सीमेण्ट लगता है उस से बाजार में इन चीजों की काफ़ी कमी हो जाती है । देश भर में मकानों की कमी का भी बहुत अनुभव किया जा रहा है । यदि यह काम आगे के लिये उठा रखा जाये तो साधारण लोगों की आवश्यकतायें काफ़ी सीमा तक पूरी हो सकती हैं ।

एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं यह है कि बम्बई के उपनगरों में चलने वाली रेलों में से दूसरा दर्जा हटा दिया गया है । क्योंकि बम्बई के उपनगरों में अधिकतर मध्य श्रेणी के लोग रहते हैं इसलिये इस से उन्हें काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : पहले तो मैं वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लेता हूं। अभी तक उन सिफ़ारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है । वर्तमान रेल मंत्री से पहले वाले रेल मंत्री ने वचन दिया था कि कम से कम महंगाई भत्ते का कुछ भाग कर्मचारियों के वेतन से सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी । किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मामलों में सरकार वायदा कर के भूल जाती है ।

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि इस कार्य के लिये एक समिति नियुक्त करने के निर्णय की सरकार ने पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर दी है ।

श्री सारंगधर दास : यदि सरकार ने ऐसा करने का अब निश्चय किया है तो केवल निश्चय करने में ही उसे एक वर्ष लग गया है । यही तो खेद की बात है । वेतन आयोग ने पांछ छः वर्ष पहले अपनी सिफ़ारिशें की थीं किन्तु आज भी उन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है । इस ढुलमुल नीति का अन्त होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर ही जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हूं । आयव्ययक में आप ने उन को सुविधायें देने के लिये करोड़ों रुपये रखे हैं किन्तु वह सब चले कहां जाते हैं । गर्मियों में स्टेशन पर पंखे नहीं होते । स्नानागारों में शीशे ग़ायब रहते हैं । रोशनी का प्रबन्ध नहीं रहता है । आखिरकार

[श्री सारंगधर दास]

मैं पूछता हूं कि ५ वर्ष पहले जो चीजें उपलब्ध रहती थीं वह अब क्यों गायब रहती हैं ? रेलवे को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ तो करना ही चाहिये ।

रेलवे के वर्गीकरण के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । रेल कर्मचारी वर्तमान वर्गीकरण से सन्तुष्ट नहीं है । मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जब जनवरी मास में एक बात तय कर के श्वेत पत्र निकाल दिया गया था तो फिर बाद में परिवर्तन क्यों किया गया उसी में संशोधन क्यों न किया गया ? मैं किसी राज्य का पक्षपाती नहीं हूं किन्तु वर्गीकरण करने का एक फ़ायदा यह बताया गया था कि कार्यक्षमता बढ़ जायेगी तथा माल के आने जाने में भी सुविधा होगी । इस बात पर विचार करने की बजाय अब हम प्रधान कार्यालयों के अमुक अमुक राज्यों में स्थापित किये जाने पर विरोध प्रगट कर रहे हैं । मेरे विचार से तो इस वर्गीकरण के मामले को एक विशेषज्ञ आयोग को सौंपा जाये जो हर प्रकार से इस कार्य के लिये योग्य हो । मैं संसदीय आयोग नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हूं । मैं तो ऐसे विशेषज्ञ चाहता हूं जो अपने इस काम को अच्छी तरह जानते हों।

१० म० पू०

श्री नेवटिया (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व) : मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में तो किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता कि रेलें हमारा सब से बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम हैं । उन्हें चालू रखना बहुत आवश्यक है । हम रेलों के कार्य संचालन को इस कसौटी पर कस कर देख सकते हैं कि वह तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों को क्या सुविधायें देती हैं और राष्ट्र के औद्योगीकरण में कहां तक सहायक होती है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये जो आयव्ययक हमारे सामने रखा गया है उस की आलोचना करना हमारे लिये ठीक नहीं है । कुछ सदस्यों का कहना है कि रेलवे की टूट फूट तथा विकास के लिये जो राशि रखी गई है वह बहुत अधिक है । किन्तु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि भारतीय सरकारी रेलों में ८६२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तो रक्षित कोष में जो १०१ करोड़ रुपये की राशि है वह कुल पूंजी के अनुपात में १२ प्रति शत से अधिक नहीं है । आखिरकार हमें डब्बे इंजन लाइनें इत्यादि की व्यवस्था करनी है । वह काफ़ी घिस गये हैं । उन की जगह नये इंजन और डब्बे लाने हैं । यदि ऐसा न किया गया तो इस उपक्रम में लगी हमारी सारी पूंजी ही डूब जायेगी । इसलिये रक्षित कोष में रखी गई राशि कोई अधिक नहीं है ।

[**श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

इस बात की भी आलोचना की गई है कि सामान्य राजस्व को लाभांश अधिक दिया जाता है । देखा जाये तो रेलवे भारत सरकार को ८६२ करोड़ रुपये की पूंजी पर १ प्रति शत के हिसाब से व्याज देती है । यदि ग़ैर सरकारी उपक्रम में १ प्रति शत का भी लाभांश न मिलता तो लोग यही कहते कि सरकार उस उपक्रम को अपने हाथों में ले ले । इसलिये रेलवे द्वारा एक प्रति शत का लाभांश देना अधिक नहीं है । मान लीजिये यदि रेलें सरकार को आगणित ३४ करोड़ रुपये की राशि लाभांश के रूप में न दें तो साधारण जनता पर कर भार और भी अधिक बढ़ाना पड़ेगा। विकास की योजनायें ठप हो जायेंगी।

किराया बढ़ा देने से गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग ३५ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है । किन्तु साथ ही यह भी बताया गया है कि रेलवे के कार्यसंचालन व्यय में भी वृद्धि हुई है । यह वृद्धि साधारण नहीं है बल्कि बढ़ कर २१ करोड़ रुपये हो गई

है। किन्तु अन्य बातों के लिये धन की व्यवस्था करते हुये वास्तविक लाभ केवल १० करोड़ रुपये का ही दिखाया गया है। विशेष ख़र्चा कोयले की खपत पर बताया गया है। मेरे विचार से रेलवे में ईंधन का ख़र्च बहुत ही बढ़ गया है। इसे कम किया जाना चाहिये। श्वेत पत्र के अनुसार तो सरकार ने इस के लिये एक समिति भी नियुक्त कर दी है।

यह बताया गया है कि अब प्रतियोगीय परिस्थितियां नहीं रही हैं इसलिये किराया बढ़ाना उचित है तथा चीनी उद्योग के लिये जो विशेष दरें की गई थीं उन का भी जारी रखना आवश्यक नहीं है। मेरा कहना है कि भारत में ७५ प्रति शत चीनी उत्तर प्रदेश और बिहार में बनती है। वहां से वह कोचीन त्रावनकोर जैसे सुदूर प्रदेशों में भेजी जाती है। इस विशेष दर के हटा लेने से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के किसानों पर बड़ा असर पड़ा है। यदि एक वर्ष इसे और चलने दिया जाता तो कहीं अच्छा होता।

मेरे विचार से यदि रेलें अपनी मरम्मत सम्बन्धी व्यय को कम कर के इस प्रकार बचाये गये धन को मुसाफ़िरों को अधिक सुविधायें देने पर लगाये तो रेलों की कार्य क्षमता कहीं अधिक बढ़ सकती है।

श्री एच० एस० रेड्डी (कुरनूल): रेलवे ने सन् १९४९ में रेलवे विकास कोष क़ायम कर के जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया था उस का लाभ आज हम उठा रहे हैं। रेलवे हमारा सब से बड़ा उपक्रम है इसलिये उस का विकास होना बहुत आवश्यक है। उस नीति के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मेरे सामने बैठे कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि रेलवे की वर्तमान नीति से असंतुष्ट हो कर ही जनता ने श्री सन्थानम संसद् के लिये नहीं चुना। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री नटेशन ने श्री गुरुस्वामी को चुनाव में हराया है और वह भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां के रहने वाले अधिकतर पैराम्बूर तथा चुलाई में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी थे। मैं यह बात तर्क के रूप में नहीं रख रहा हूं। किन्तु किसी व्यक्ति विशेष की हार जीत को सरकार की रेलवे नीति की कसौटी बनाना कहां तक उचित है ?

एक सदस्य ने यह भी कहा है कि श्वेत पत्र वापस ले लिया गया है। मैं उन्हें बतला दूं कि श्वेत पत्र फ़रवरी मास में जारी किया गया था। उस का निर्देश रेल मंत्री ने भी अपने आयव्ययक भाषण में किया था और मैं समझता हूं कि सरकार आज भी उस में बताई गई बातों पर चलने को तैयार है। उसे वापस नहीं लिया गया है।

मद्रास शहर में रेलवे ने जो दो पुल बनाये हैं उस के लिये मैं रेलवे को बधाई देता हूं। किन्तु मेरा निवेदन है कि यदि वह हाई कोर्ट और फ़ोर्ट एरिया वाले इलाक़े में भी एक पुल आने जाने के लिये और बना दे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वह क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है।

बिलारी ज़िले के रेलवे स्टेशनों की दशा बहुत ही ख़राब है। वह उसी अवस्था में हैं जैसा कि उन्हें कभी बनाया गया था। उन की मरम्मत करने तथा उन का ढांचा बदलने की परम आवश्यकता है।

रेलवे वर्गीकरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि रेलवे ने कुछ निर्णय कर लिये थे किन्तु दबाव पड़ने पर उन्हें बदल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे वर्गीकरण के सम्बन्ध में संसद् की समिति अर्थात् केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् से हमेशा परामर्श लिया जाता रहा है। फिर यह कहना कहां तक उचित है कि संसद् से परामर्श किये बिना ही रेलवे ने वर्गीकरण कर डाला

[श्री एच० एस० रेड्डी]

है । रेलवे के प्रधान कार्यालयों को स्थापित करने के सम्बन्ध में भी परामर्शदात्री परिषद् से बराबर सलाह ली गई थी । यहां तक कि निर्णय करने के लिये मतदान तक लिया गया था ।

कुछ सदस्यों का कहना है कि विशेषज्ञों का एक विशेष आयोग नियुक्त किया जाये । किन्तु मेरे विचार से इस वर्गीकरण के प्रश्न को विशेषज्ञों ने ही तय किया था और अब बार बार इस प्रश्न को उठाना किसी भी तरह लाभकारी न होगा ।

श्री **गोपालस्वामी :** इस अवस्था में चर्चा में भाग लेना आवश्यक समझता हूं । कुछ दिनों पूर्व ही मैं रेलवे मंत्रालय का भार संभाले हुये था तथा वर्गीकरण का पूरा मामला मेरे ही कार्यकाल में तय किया गया था । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह देना ठीक समझता हूं । देखा जाये तो जो आलोचनायें की गई हैं वह गुण या अवगुण देख कर नहीं की गई हैं बल्कि इसलिये की गई है क्यों कि कुछ लोगों की राय सरकार ने नहीं मानी ।

वर्गीकरण के सम्बन्ध में मैं अपने आप को इस समय केवल उत्तर-पूर्वी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि इन के प्रधान कार्यालयों के स्थापित करने का विषय ही आलोचनाओं का केन्द्र हो गया है । वर्गीकरण के अनुसार उत्तर-पूर्वी रेलवे का प्रधान कार्यालय गोरखपुर और पूर्वी रेलवे का प्रधान कार्यालय कलकत्ता रखा गया है । अब कहा यह जाता है कि दोनों ही प्रधान कार्यालय कलकत्ता में होने चाहियें । देखने से पता लगेगा कि समस्त उत्तर पूर्वी रेलवे छोटी लाइन की रेलवे है । इसलिये उसकी वर्तमान सीमाओं को देखते हुये गोरखपुर ही उस का प्रधान कार्यालय होना चाहिये । किन्तु कहा यह जाता है कि पहले तो इस रेलवे में स्यालदा डिवीज़न का कुछ भाग मिलाने की योजना थी—जो कि बड़ी लाइन का भाग है । इस प्रकार वह दोनों ही कार्यालय कलकत्ता में रखे जाने वाले थे । फिर यह परिवर्तन क्यों किया गया ?

इस सम्बन्ध में मैं रेलवे बोर्ड की तथा अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । रेलवे बोर्ड ने जनवरी में वर्गीकरण की एक योजना बना कर तैयार की । राज्य सरकारों, वाणिज्यिक संस्थाओं इत्यादि की राय जानने के लिये मैं ने उसे परिचालित करने की आज्ञा दी । साथ ही मैं ने यह भी सोचा कि आलोचनाओं के साथ उसे केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष रख दिया जायेगा । केन्द्रीय परिषद् की दो बैठकें हुईं—२७ फरवरी और ६ मार्च को । योजना के परिचालित किये जाने तथा परिषद् की पहली बैठक होने के बीच काम-चलाऊ संसद् में इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में चर्चा भी हुई थी जिस में मैं ने कलकत्ता ही में दोनों प्रधान कार्यालय रखने पर जोर दिया था । किन्तु बाद में जनता की राय के कारण मुझे मूल योजना में परिवर्तन करना पड़ा और यह सब बातें परिषद् की २७ फ़रवरी वाली बैठक में रखी गईं । इस बैठक में इस बात पर काफ़ी समय तक विचार किया गया कि एक प्रधान कार्यालय गोरखपुर में होना चाहिये और दूसरा कलकत्ता में । किन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका । ६ मार्च को पुनः बैठक हुई जिस में इसी वर्गीकरण के मामले पर फिर बहस की गई । इस बैठक में मैं ने साफ़ साफ़ कह दिया था कि जनता की राय को ध्यान में रखते हुये मैं एक प्रधान कार्यालय को गोरखपुर में रखने के लिये तैयार हूं । दूसरी बात थी इलाहाबाद डिवीज़न के उत्तरी रेलवे में मिलाये जाने की । इस पर भी मैं परिषद का मत स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था । कुछ लोगों का कहना

है कि ऐसा मैं ने उत्तर प्रदेश की सरकार तथा वहां की जनता का दबाव पड़ने के कारण किया। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ने पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों के ही मतों को सामने रखा। उन पर दो सिद्धान्तों से ग़ौर किया। रेलवे बोर्ड ने जनमत पर पहले ही विचार कर लिया था इस लिये मैं ने अपने अधिकारियों से केवल एक ही प्रश्न पूछा कि क्या अमुक अमुक बातों के सम्बन्ध में जनमत के मान लिये जाने से रेलवे की कार्य क्षमता में कोई कमी न होगी। यदि वह कहते कि नहीं होगी तो मैं जनता की उस राय को मान लेता। यह कहना सर्वथा गलत है कि मैं ने किसी राज्य के साथ पक्षपात किया है। पूर्वी रेलवे में स्यालदा डिवीज़न के मिलाये जाने के सम्बन्ध में बंगाल के प्रतिनिधियों के सहयोग न देने के कारण हम ने यह तय किया कि यह मामला पश्चिमी बंगाल के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत कर के निबटाया जाये। बातचीत करने के पश्चात् यह तय पाया कि स्यालदा डिवीजन को उत्तर पूर्वी रेलवे में मिला दिया जाये। किन्तु इस के पश्चात् पश्चिमी बंगाल से पुनः अभ्यावेदन किये गये और मैं ने अन्त में यह निश्चय किया कि यह मामला अर्थात् इलाहाबाद तथा स्यालदा डिवीज़नों का मिलाना कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये। पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ १९ अप्रैल, को हुई एक बैठक में यह तय पाया कि स्यालदा के बड़ी लाइन वाले भाग को पूर्वी रेलवे में मिला दिया जाये तथा छोटी लाइन वाले को उत्तर पूर्वी रेलवे में। इस प्रकार हम ने छोटी लाइन वाले सारे भाग का अर्थात् उत्तर पूर्वी रेलवे का प्रधान कार्यालय गोरखपुर में कर दिया है तथा बड़ी लाइन वाले भाग का कलकत्ता में।

इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है कि यदि कलकत्ता में दो प्रधान कार्यालय न हुये तो व्यापार तथा वाणिज्य पर इस का बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरा तो यह कहना है कि जब दो प्रधान कार्यालय थे तो व्यापारियों को दोनों से निबटना पड़ता था। अब तो उन्हें केवल एक से ही निबटना होगा। अनेक व्यापारियों ने मुझे बताया है कि वह वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं क्योंकि अब उन्हें एक ही रेलवे से निबटना पड़ता है :

यह भी कहा गया है कि इस का प्रभाव रेलवे कर्मचारियों पर ठीक नहीं पड़ा है। उन का कहना है कि मेरे द्वारा दिये गये वचन अर्थात किसी रेलवे कर्मचारी को उस की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य स्थान पर नहीं भेजा जायेगा—केवल कोरी बातें हैं। किन्तु मैं दावे से कहता हूं कि उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

रेलवे कर्मचारियों की तरक्की का भी प्रश्न उठाया गया है। जहां तक घोषित अधिकारियों का सम्बन्ध है उन पर महाखण्डों में रहने का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन की पदोन्नति अखिल भारतीय सेवा की भांति होती है। उन्हें किसी भी जगह भेजा जा सकता है। दूसरी तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी तो कभी भी डिवीज़न के बाहर नहीं जाते हैं। और डिवीज़न ज्यों के त्यों रखे गये हैं। इस के अतिरिक्त जब अन्य रेलों के भाग कुछ बड़ी रेलों में मिला दिये गये हैं तब तो पदोन्नति का मौक़ा और भी बढ़ जाता है। और सीधी सी बात तो यह है कि यदि उन का काम अच्छा है और वह योग्य हैं तो उन्हें नई व्यवस्था में उन्नति करने के हज़ारों अवसर प्राप्त होंगे।

इलाहाबाद का ही उदाहरण ले लीजिये। इलाहाबाद के उत्तरी रेलवे में मिला दिये जाने से कोयले के डब्बे सरलता से प्राप्त होने लगे हैं। कोयला व्यापार भी सन्तुष्ट

[श्री एच० एस० रेड्डी]

है क्योंकि उसे कोयला भरने के लिये शीघ्रता से डब्बे मिलने लगे हैं। यह सब कलकत्ता तथा मुग़लसराय में विशेष अधिकारी रखने के कारण हो सका है क्योंकि वह वहां की कठिनाइयों को वहीं पर हल कर देते हैं।

११ म० प०

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या इन नये अधिकारियों के नियुक्त करने से ख़र्चा बढ़ नहीं गया है ?

श्री गोपालास्वामी : मेरे विचार से मेरे मित्र को धैर्य्य से काम ले कर समूची योजना के कार्यान्वित होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में किसी के लिये भी आसानी से यह कहना सम्भव नहीं है कि इतने धन की बचत हो जायेगी। फिर भी, मुझे विश्वास है कि वर्गीकरण के पूर्णरूप से कार्यान्वित हो जाने पर काफ़ी बचत होगी।

कुछ देर पहले यह प्रश्न उठाया गया था कि मैंने बंगाल के जनमत को स्वीकार करने के सम्बन्ध में क्या किया। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जब स्यालदा का प्रश्न उठा था तो मुझ से कहा गया था कि मैं बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत करूं। पहले उन का विचार था कि स्यालदा को उत्तर-पूर्वी रेलवे में मिला दिया जाये। अपने सलाहकारों से बातचीत करने पर मैं भी उन की राय से सहमत हो गया था। किन्तु कलकत्ता वापस पहुंचने पर उन्होंने अपने आप को सन्देह में पाया तथा इस बारे में पुनः बातचीत करने की इच्छा प्रगट की। बातचीत में बंगाल से आने वाले व्यक्तियों ने यह इच्छा प्रकट की कि स्यालदा को पूर्वी रेलवे में रखा जाय। किन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस का कड़ा बिरोध किया। उन का कहना था कि स्यालदा को उत्तर-पूर्वी रेलवे में ही रहना चाहिये। किन्तु बंगाल की इच्छा को देखते हुये तथा अपनी और रेलवे बोर्ड की इसी इच्छा को देखते हुये मैंने स्यालदा का पूर्वी रेलवे में रखा जाना स्वीकार कर लिया। क्या इस प्रकार मैं ने बंगाल के जनमत को स्वीकार नहीं किया ? इस के विपरीत मैं ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की बातें नहीं मानी। वह लखनऊ में उत्तरी रेलवे का प्रधान कार्यालय चाहते थे। वह स्यालदा को उत्तर-पूर्वी रेलवे में रखना चाहते थे। किन्तु मैं ने गोरखपुर में प्रधान कार्यालय रखे जाने तथा इलाहाबाद डिवीज़न के उत्तरी रेलवे में मिलाये जाने की मांगों को स्वीकार कर लिया। बंगाल के मुख्य मंत्री कलकत्ता में दो प्रधान कार्यालय चाहते थे किन्तु इस बात के स्वीकार करने पर ६ की बजाय सात महा खण्ड बनाने पड़ते जो कि वर्गीकरण योजना के सिद्धान्तों के विरुद्ध था। अतः मैं ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यद्यपि रेलवे आयव्ययक प्रस्तुत करने वाले मंत्री जी सिर से पैर तक खद्दर में लदे हुये हैं, परन्तु उन्होंने जो आयव्ययक प्रस्तुत किया है उस पर "इंगलैंड में बना" की छाप लगी हुई है। वास्तव में यह आयव्ययक नौकरशाही द्वारा नौकरशाही ढंग पर बनाया गया है जिस में जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। होना तो यह चाहिये था कि रेल मंत्री किसी कम्पनी के सभापति की भांति सदस्यों को कम्पनी का अंशधारी समझ कर उनके सामने भाषण देते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं समझा है। जिस प्रकार अंग्रेज़ रेलों को शोषण का एक साधन समझते थे उसी प्रकार कांग्रेस भी उन्हें शोषण करने का एक साधन समझती है। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये सुविधायें बढ़ाने के सम्बन्ध में सन् १९२५ से ही रट लगाई जा रही है किन्तु सब सुनी अनसुनी हो रही है अनेक समि

तियों ने रेलवे में छंटनी करने के लिये सिफ़ारिशें की थीं किन्तु उनको कार्यान्वित ही नहीं किया गया । इस के विपरीत किराया बढ़ा दिया गया है । वास्तव में, रेलों को चलाने का उद्देश्य है ग़रीबों को और ग़रीब बनाना । यहां तक कि उद्योगपतियों को भी इस से कोई लाभ नहीं पहुंचा है । बात तो यह है कि कांग्रेस ने जो जो वचन दिये थे अब वह उन्हीं को तोड़ रही है । "स्वदेशी" के नाम पर "विदेशी" ढंग पर आयव्ययक तैयार किया गया है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : जहां तक रेलवे के वर्गीकरण का सम्बन्ध है यह बात तो निश्चय से कही जा सकती है कि वर्गीकरण का मामला तय हो गया है । यदि जनमत ने इस का कड़ा विरोध न किया तब तो वर्गीकरण को रोका नहीं जा सकता है । वास्तव में देखा जाय तो इस से मुसाफिरों को कोई हानि नहीं होगी । हो सकता है सामान इत्यादि के भेजने में उन्हें कुछ कष्ट उठाना पड़े । सत्य तो यह है कि वर्गीकरण का विरोध करने वाले रेलवे कर्मचारी हैं । इस प्रकार यह मामला रेलवे बोर्ड और रेलवे कर्मचारियों के बीच है । केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् का मैं भी एक सदस्य था । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि २७ फरवरी से पहले न केवल रेल कर्मचारी ही बल्कि परिषद् के सदस्यों की राय भी वर्गीकरण के विरुद्ध थी । यदि रेलवे बोर्ड गोरखपुर में प्रधान कार्यालय रखने के लिये तैयार न हो जाता तो वर्गीकरण ही कब का समाप्त हो गया होता । वर्गीकरण के प्रश्न को उस के गुण व अवगुण पर तय नहीं किया गया । गोरखपुर को प्रधान कार्यालय बना दिया जाने के आश्वासन पर ही सदस्यों तथा मंत्रियों ने इस प्रश्न पर और ही तरह से विचार करने का वचन दिया । पहले तो समिति के सभी सदस्य विरुद्ध थे किन्तु बाद में सब वर्गीकरण के पक्ष में हो गये । हमारे विचार से इस प्रश्न पर संसद् स्वयं विचार कर के अपना निर्णय देता । किन्तु पहले दिये गये भाषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद् भी इसके पक्ष में है । फिर भी, मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि रेलवे बोर्ड ने वर्गीकरण को देश के हित में न पाया तो वह गत वर्ष रेल के दर्जों में किये गये परिवर्तन के समान ही इसे भी हटा देगा ।

इस । तो सन्देह ही नहीं है कि सन् १९४६ के पश्चात् से रेलों की हालत में काफी सुधार हुआ है । उन में यात्रा करने वालों को अनेक सुविधायें बढ़ा दी गई हैं । विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये । मैं किराया बढ़ाने का विरोधी नहीं हूं किन्तु साथ ही मैं चाहता हूं कि मुसाफिरों को उतनी ही सुविधायें भी दी जायें ।

किन्तु बहुत सी बातें अभी ऐसी हैं जिन की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है—जैसे स्त्रियों के लिये बनाये गये डब्बे । उन में शौचालयों का ठीक प्रबन्ध नहीं है । और तो और जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां के यात्रियों को यात्रा का भाड़ा देने के साथ साथ गाड़ी में धक्के भी लगाने पड़ते हैं । वहां लाइनों पर भैंसे, हाथी इत्यादि खड़े हो जाते हैं । इन सब बातों का तो अन्त किया ही जाना चाहिये ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : सूचना ज्ञात करने के सम्बन्ध में—क्योंकि कल गृह कार्य मंत्री ने गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों पर चलाई गई गोली के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के बारे में इच्छा प्रगट नहीं की, इसलिये क्या रेल मंत्री उसे रखने की कृपा करेंगे जिस से कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो सकें ।

सभापति महोदय : इस प्रश्न पर कल भी बहस हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय ने

[सभापति महोदय]

कल कहा था कि जिस किसी पत्रिका, क़ाग़ज़ इत्यादि का निर्देश किया जायेगा उस को स्वभावतः पटल पर रखा जाना चाहिये। मेरे विचार में यही प्रथा अपनाई जायेगी ?

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैं रेलवे आयव्ययक को अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से देखना चाहता हूं। त्रावनकोर-कोचीन में सब से घनी आबादी है। वहां पर करेल में व्यापारकि फस्लें होती ह, नारियल तथा नारियल की जटाओं से बनी वस्तुयें तैयार होती हैं, किन्तु उन को भेजने के लिये किसी प्रकार के यातायात का प्रबन्ध नहीं है। उन स्थानों को कोचीन से रेल द्वारा नहीं मिलाया गया है। वर्तमान आय-व्ययक में भी केवल ३·९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि कांग्रेस सरकार के लिये लज्जाजनक बात है।

तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उन के सम्बन्ध में उसी समय से कहा जा रहा है जब से रेलवे बनी है। यहां तक कि अब कांग्रेस सरकार भी अपने दिये गये वचन भूल गई है। उसने सुविधायें देने का केवल ढोंग रच रखा है। उदाहरण के लिये .पश्चिमी रेलवे के फुलैरा रेलवे को ले लीजिये। वहां पर मुसाफिरों को वर्षा और धूप से बचाने के लिये प्लेटफार्मों को सायादार बनाने की आवश्यकता है। और इस के लिये २.५० लाख रुपये चाहिये। किन्तु इस वर्ष केवल एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। क्या यह जनता का उप-हास करना नहीं है ? लोग पानी और धूप से परेशान होते हैं और सरकार उन के कष्टों को दूर करने में सालों का समय लगाती है।

सन् १९४९-५० में तीसरे दर्जे का किराया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। आख़िरकार यह किराया क्यों बढ़ाया गया ? माननीय श्री गोपाल तो यही कहेंगे कि कार्यसंचालन का व्यय बढ़ गया था इसलिये भाड़ा केवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। किन्तु क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जनता इतना भाड़ा दे भी सकेगी अथवा नहीं। अब इस का परिणाम यह हुआ कि तीसरे दर्जे का यातायात ४.२ प्रतिशत घट गया है। राजनैतिक विचारों तथा व्यापार के दृष्टिकोण से भी केवल यही उत्तम है कि सन् १९४९ में जो किराये थे उन्हीं को पुनः लागू कर दिया जाय।

नौ लाख रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों पर न अड़ी रहे। यह तो ऐसे नियम हैं जिन के लिये सन् १९५२ में कांग्रेस सरकार को भी लज्जा आनी चाहिये। रेलवे कर्मचारी इन्हें नहीं चाहते न ही जनता इन्हें पसन्द करती है। किन्तु इस पर भी सरकार उन को काम में ला रही है। यद्यपि इस सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है फिर भी ३०० कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। मेरा कहना है कि इन कर्मचारियों को वापस लिया जाये तथा यह नियम रद्द कर दिया जाये।

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप) : रेलवे वर्गीकरण के सम्बन्ध में श्री गोपालस्वामी ने जो भाषण दिया है उस को सुनने के पश्चात् इस सम्बन्ध में कुछ कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं उन में से हूं जिन्होंने आरम्भ से ही वर्गीकरण का विरोध किया है-- क्योंकि ऐसा करने के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है। हमारी रेलें ऐसी दशा में नहीं हैं कि उन की इस समय इस प्रकार से चीड़ फाड़ की जाय। गत फरवरी में जब श्री गोपालस्वामी ने उत्तर-पूर्वी रेलवे के प्रधान कार्यालय को गोरखपुर से कलकत्ता भेजने के समर्थन में भाषण दिया था तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मेरे मित्रों का इस का

विरोध करना स्वाभाविक ही था। क्योंकि यह कार्यालय वहां गत ६४ वर्षों से चला आता है। मैं ने अपने केन्द्रीय परामर्श-दात्री परिषद् के सदस्यों तथा संसद् सदस्यों के साथ बातचीत करने के उपरान्त यही सुझाव रखा कि वर्गीकरण का प्रश्न नये संसद के लिये उठा रखा जाये। जब काम-चलाऊ संसद् में २५ और २६ फ़रवरी को इस विषय पर चर्चा हुई थी तो श्री गोपाल-स्वामी ने छपे हुए स्मृतिपत्र में दी गई योजना का मुक्त कंठ से समर्थन किया था। २७ फ़रवरी को होने वाले रेल केन्द्रीय परामर्श-दात्री परिषद् की बैठक में भी मैं ने यही कहा था कि इस प्रश्न को नये संसद् के आने तक के लिये स्थगित कर दिया जाये। परिषद् की बैठक ६ मार्च के लिये स्थगित हो गई। उस बैठक में रेल मंत्री ने यह घोषणा की कि जनमत का सम्मान करते हुए उत्तर-पूर्वी रेलवे का प्रधान कार्यालय कलकत्ते से गोरखपुर वापस भेज दिया जायेगा। इलाहाबाद डिवीजन को उत्तरी रेलवे में मिला दिया जायेगा। लोगों ने इस का विरोध किया किन्तु कोई फल न निकला। मैं पूछना चाहता था कि रेलवे के डिवीजन क्या कोई भेड़ बकरी हैं जिन्हें जब चाहा और जिसे चाहा उठा कर दे दिया? रेलवे का वर्गीकरण करने में हमें देश के हित को सब से प्रथम रखना चाहिये। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ने एक विमति टिप्पणी लिखी थी। मैं समझता था कि वह भी परिषद् की कार्यवाही का एक भाग समझी जायेगी। इस प्रकार सभी सदस्यों को ज्ञात हो जायेगा कि हम इस योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं यही नहीं चाहता कि गोरखपुर से प्रधान कार्यालय हटा दिया जाये। किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप को मानना ही पड़ता है। यद्यपि पश्चिमी बंगाल आज सब से छोटा राज्य है किन्तु आज भी उस में देश के ५० प्रतिशत उद्योग स्थापित हैं। कलकत्ते में देश का ५० प्रतिशत समुद्रीमाल उतारा और चढ़ाया जाता है। कल तक वहां रेलों के तीन प्रधान कार्यालय थे फिर आज एक ही प्रधान कार्यालय से कैसे काम चल सकता है। क्या देश का ५० प्रतिशत वाणिज्य और व्यापार किसी एक बात के लिये बलिदान कर दिया जाये? यदि मंत्री महोदय चाहते तो वह ६ मार्च और १४ अप्रैल के बीच जनमत ज्ञात कर सकते थे। किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टे हम पर प्रान्तीयता का दोष लगाया। कलकत्ता का देश के वाणिज्य और व्यापार में जो स्थान है उसे आप नहीं छीन सकते। यहां तक कि आज पश्चिमी बंगाल में एक भी ऐसी संस्था नहीं है न ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस का विरोध न करता हो। मेरा तो माननीय मंत्री से कहना है कि वह जनमत को पहचानें। प्रजातंत्र में जनमत ही सब कुछ है। आप उस की अवहेलना नहीं कर सकते। कलकत्ते में दो प्रधान कार्यालय तो रहने ही दीजिये। दूसरे ईस्ट इण्डियन रेलवे जैसी रेलवे में काट छांट न कीजिये। यह देश की सब से सुन्दर और कार्यकुशल रेलवे है। एक बार रेल मंत्री पुनः इन बातों पर गौर करें और फिर अन्तिम फ़ैसला करें। आप एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करने जा रहे हैं। मुझे सफलता प्राप्त होने की कोई बहुत आशा नहीं है। मेरा तो केवल एक ही निवेदन है कि रेल मंत्री एक बार पुनः इन सारी बातों पर खुले दिल से विचार करें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से वह उचित निर्णय पर पहुंच जायेंगे।

श्री एल० बी० शास्त्री: श्रीमान् मुझे अफसोस है कि हिन्दी बोलने पर जब कि मैं ने यह कहा कि मैं अंग्रेजी में भी उन बातों

[श्री एल० बी शास्त्री]

का जवाब दूंगा जो कि विरोधी दल के मेम्बरों ने कही हैं, उस के बाद भी इतना विरोध होना मुझे उचित और मुनासिब नहीं मालूम होता क्योंकि हिन्दी अपनी राष्ट्रभाषा है। अगर कुछ भाई हिन्दी नहीं जानते तो उन्हे हिन्दी सुनने को तो तैयार रहना चाहिये क्योंकि कम से कम सुन कर भी वह कुछ हिन्दी सीख सकते हैं। अगर माननीय सदस्यों ने हिन्दी नहीं पढ़ी है तो कम से कम सुनने से भी कुछ सीख सकेंगे अगर हम ऐसे ही चलते रहे और १५ साल के अन्दर कोई तरक्की नहीं होगी, कोई उन्नति नहीं होगी तो यह हमारा केवल नाम के लिये कहना है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और १५ साल बाद हिन्दी को हम अपनी पूर्ण रूप से राष्ट्र भाषा बनायेंगे। मैं जानता हूं कि शायद दस या बारह सदस्यों को छोड़ कर जो उस तरफ बैठे हैं अधिकतर सदस्य चाहे वे बंगाल के हों या और प्रान्तों के हों हिन्दी समझते हैं। और हमारे माननीय सदस्य डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में तो मेरा पूरा अन्दाजा है कि उन की हिन्दी की अच्छी और पूरी जानकारी है।

मैं इस समय इस हाउस के सामने जो रेलवे बजट पर बहस हुई है उस के लिये माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो रचनात्मक बातें कहीं, जो टीका टिप्पनी की, जो ऐतराज़ात किये उन ऐतराज़ात से, उन समालोचनाओं से मेरा फायदा हुआ क्योंकि मैं भी इस विभाग के लिये एक नया आदमी हूं और इसलिये जो बातें बतलाई गई उन से मुझे एक नयी जानकारी हुई। मैं अगर उन तमाम बातों में इस समय जाऊं जो कि माननीय सदस्यों ने पेश की हैं तो इस हाउस का बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक बात का जबाव आप के सामने पेश करू क्योंकि उन में बहुत सी एसी बातें हैं जिन पर अगर आप मुझ से इस भवन के बाहर बातचीत करना चाहें तो मैं बातचीत कर के उन बातों को सुलझा सकता हूं या सुलझाने की कोशिश कर सकता हूं। इस लिये मैं उन तमाम ब्यौरों में और उन तफ़सीलों में नहीं जाऊंगा जो कि अलग अलग सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये या अपनी स्टेट और प्रान्त के लिये कही हैं। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बातें आप की तरफ़ से कही गई हैं उन को हमारे दफ्तर के लोगों ने पूरी तरह से नोट कर लिया है और इन तमाम बातों को हम बड़े ग़ौर के साथ देखेंगे और जितनी बात उस में से हमारे लिये पूरा करना मुमकिन है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

कुछ बातें खास तौर पर कही गई और जिस ओर विरोधी दल की तरफ से ध्यान दिलाया गया उन में एक यह है कि यह बजट गरीब आदमियों के लिये कुछ नहीं कहता। थर्ड क्लास के मुसाफ़िरों के लिये कोई खास बात नहीं कहता, तीसरे दर्जे में जो दिक़्क़तें और तकलीफ़ें हैं उन के बारे में इस में कोई खास ज़िक्र नहीं है और ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इस के कि रेलवे बोर्ड ज्यादा आमदनी करे वह इस बात की कोशिश करे कि तीसरे दर्जे और निचले दर्जे के जो मुसाफ़िर और डब्बे हैं उन को फायदा पहुंचाने का इन्तजाम किया जाय। मैं इस हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भावनायें आप की तीसरे दरजे के मुसाफिरों के बारे में हैं या लोअर क्लास के कम्पार्टमेन्ट के बारे में हैं वही भावनायें मेरे दिल में भी हैं और मैं जानता हूं कि तीसरे दरजे के मुसाफ़िरों को क्या दिक़्क़ते हैं, क्या कठिनाइयां हैं। मैं तो आप से यह कहने को तैयार हूं कि तीसरे दरजे में सफ़र करने

वालों को जब देखने का मौका मिलता है या उस में बैठने और चलने का मौका मिलता है तो मेरे दिल में यह बात आती है कि यह इन्सानों का या आदमियों का सफर नहीं है बल्कि इस तरह लोग उन गाड़ियों में सफर करते हैं कि उस में इन्सान के दरजे के नीचे की बात आ जाती है। जितनी भीड़ थर्ड क्लास में होती है और जिस बुरी तरह से मुसाफ़िरों को उस में बैठना पड़ता है, जैसे किसी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होता। यह सब बातें ठीक हैं। और यह सब बातें ऐसी हैं जिन की वजह से हम तीसरे दरजे में जो इन्तज़ाम करना भी चाहें तो वह नहीं कर पाते हैं। मिसाल के लिये अगर हम इस बात का इन्तज़ाम करना चाहें कि जहां जहां स्टेशनों पर गाड़ी रुके वहां जल्दी जल्दी तीसरे दरजे में सफ़ाई हो और डब्बे में झाड़ू लगाने का इन्तज़ाम किया जाय, शौचालयों बगैरह को धोया जाय जिस से कि कुछ सफाई हो और थर्ड क्लास वालों को सहूलियत पहुंच सके परन्तु भीड़ की हालत ऐसी होती है जिस से यह मुमकिन नहीं कि स्टेशनों पर इस तरह का इन्तजाम किया जाय। इस की वजह यही है कि न कहीं अन्दर जाने को गुंजाइश रहती है और न सफाई करने वाले को सफाई करने की गुंजाइश रहती है। इसलिये यह कठिनाई जो ज़्यादा भीड़ की है यह सब से बड़ी कठनाई है। मैं भी पहले यह समझता था कि इस को हल करना बहुत आसान है। मेरा ख्याल यह था कि कई और डब्बे हर गाड़ी में लगा दिये जायें, थर्ड क्लास और इंटर क्लास के डब्बे और लगा दिये जायें। मैं यह भी सोचता था कि एक जिले से दूसरे जिले के दरम्यान शटल चला दी जायें ताकि नज़दीक जाने वाले मुसाफ़िर इन गाड़ियों में शटल में चले जाया करें और जो ऐक्सप्रेस और मेल ट्रेनें हैं उन में नजदीक के मुसाफ़िर न बैठें। लेकिन जो इन पिछले थोड़े दिनों में मैं ने जानकारी हासिल की है उस से मुझे यह मालूम होता है कि यह भी शायद मुमकिन नहीं है कि हर रेलवे ट्रेन में हम एक नया थर्ड क्लास का या इंटर क्लास का डिब्बा लगा सकें और न यही मुमकिन है कि जो शटल ट्रेनें हम एक जिलें से दूसरे जिले तक के लिये चलाना चाहते हैं उन्हें चला सकें।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग-पश्चिम): क्यों मुमकिन नहीं है?

श्री एल० बी० शास्त्री: क्योंकि गाड़ियां नहीं हैं, डब्बे नहीं हैं, कोचेज़ की बेहद कमी है और इस वक्त हालत तो यहां तक आ चुकी है कि अगर कुछ डब्बों को हम अलग ला कर उन में पंखे लगाना चाहें, उन की सीटों को बदलना चाहें तो दिक्कत यह पड़ जाती है कि डब्बों की कमी की वजह से ट्रेनों में ओवरक्राउडिंग (भीड़) और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेनों में उन डब्बों की कमी पड़ जाती है। यह हालत आज कोचेज़ और डब्बों की है। इस के मानी यह नहीं कि हम लगातार इस बात की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम नयी कोचेज़ मंगवायें, नई गाड़ियां अपने देश में खुद बनायें। इन सब बातों का पूरा प्रयत्न हो रहा है और काफ़ी तेज़ी भी इस में की गई है लेकिन इन सब बातों में समय लगता है। बगैर वक्त के अपनी ताक़त और शक्ति के बाहर जा कर हम कुछ काम कर लेंगे यह बात मुमकिन और सम्भव नहीं है। इस लिये यह जो आज ओवरक्राउडिंग का सवाल है वह हमारे लिये काफ़ी दिक्क़त और कठिनाई का सवाल बन गया है। यह सही है कि हमें फिर भी कुछ न कुछ इन बातों का इन्तज़ाम करना होगा। अभी हाल में कुछ डीज़ेल कार्स भाप के इंजन और

[श्री एल० बी० शास्त्री]

और डब्बों को खरीदने का आर्डर यहां से भेजा गया है। यह डीज़ेल कारें शटल ट्रेनों के रूप में काम करेंगी। इन में खर्च भी बहुत कम पड़ता है और साथ ही यह तेज़ भी काफ़ी चलती हैं। यह डीज़ेल कारें जब आ जायेंगी जो जल्दी ही आने वाली हैं, तब मैं आशा करता हूं कि हम शटल ट्रेनों के रूप में उन्हें चलायेंगे और जैसा मैं ने आप से कहा २५–३० या ४० मील के बीच में एक हैडक्वार्टर से दूसरे हैडक्वार्टर तक के लिये जब यह डीज़ल कारें चलने लगेंगी तो उस से तीसरे दर्जे की जो भीड़ है वह बहुत हद तक कम हो जायेगी। हम उस के लिये इन्तज़ाम करने जा रहे हैं और साथ ही मेरा यह भी विचार है कि मैं इस मसले पर फिर एक बार अच्छी तरह पता लगाऊं कि किस हद तक हम नये कोचेज़ और डब्बे दे सकते हैं जिन से एक जिले से दूसरे जिले के बीच शटल ट्रेनें चलाई जा सकें ताकि थर्ड और इंटर क्लास में जो आज ओवर-क्राउडिंग और भीड़ होती है उसे कम किया जाय।

यह भी शिकायत की गई है कि अक्सर रेलवे के बुकिंग क्लर्क बहुत देर में टिकट बांटने के लिये आते हैं जिस से थर्ड क्लास के मुसाफ़िरों को टिकट खरीदने में बहुत दिक़्क़त उठानी पड़ती है और काफ़ी असुविधा का सामना करना होता है और टिकट खरीदने की जल्दी में अक्सर मुसाफ़िरों में आपस में झगड़े भी हो जाया करते हैं और धक्कम धुक्की होती है। बात सही है और मुझे अफ़सोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि हमारे बुकिंग क्लर्क या जो उन के काम करने वाले हैं वह अपनी ज़िम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से नहीं निभाते, जिस तरह कि उन्हें निभाना चाहिये क्योंकि क़ायदे के मुताबिक़ और हिदायत यह है कि स्टेशन पर गाड़ी आने के दो घंटा पहले बुकिंग आफ़िस खुल जाना चाहिये और मुसाफ़िरों को टिकट बांटना शुरू हो जाना चाहिये। लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि दो घंटे के बजाय वह एक घंटा या केवल आध घंटा पहले टिकट बांटना शुरू करते हैं जिस से मुसाफ़िरों को काफ़ी मुश्किल पड़ती है।

लेकिन मैं इस बात के लिये आयन्दा कड़ाई से आदेश देना चाहता हूं और यह हिदायत भेजना चाहता हूं कि जो हुक्म दो घंटे का है उस को पूरी तरह से माना जाय। यह हो सकता है कि छोटे छोटे स्टेशनों पर जहां भीड़ कम होती है वहां के लिये यह जो दो घंटे का वक़्त मुक़र्रर किया गया है उस के बजाय एक घंटे या पौन घंटे का वक़्त वहां के बुकिंग क्लर्क मुक़र्रर कर सकते हैं क्योंकि वहां भीड़ कम होती है और वह अपनी ज़िम्मेदारी पर अपना समय खुद नियत कर सकते हैं लेकिन यह देखना उन का फ़र्ज़ है कि पब्लिक को वक़्त पर बिना कठिनाई के टिकट मिल सकें।

रेलवे के स्कूलों के बारे में यह एतराज़ किया गया कि उन का इन्तज़ाम ठीक नहीं है और रेलवे के स्कूल कम कर दिये गये हैं। वह बढ़ाये नहीं गये और उन पर खर्च कम होता है। साथ ही यह भी कहा गया है अस्पतालों का भी इन्तज़ाम अब कुछ बदल दिया गया है। जहां पहले सब को खाना मुफ्त मिलता था वहां अब उन रेलवे अस्पतालों में पैसा दे कर मरीजों को खाना दिया जाता है। मैं ने जब इस शिकायत के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि स्कूलों और अस्पतालों दोनों के बारे में जो ऐतराज़ किया गया है वह गलत साबित होता है क्योंकि आखिर में शिक्षा की जिम्मेदारी, सब को तालीम देने की जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट आफ इंडिया पर है या स्टेट गवर्नमेंट्स पर है और सारे नागरिकों की पढ़ाई का भार और बोझा उन

के ऊपर है। इसलिये रेलवे डिपार्टमेंट इस मद पर कोई अपना ज़्यादा पैसा खर्च करे, मैं इस को कोई बहुत मुनासिब और माक़ूल चीज़ नहीं समझता क्योंकि यह सिर्फ़ लिटरेसी (साक्षरता) का ही सवाल नहीं, प्राइमरी तालीम का ही नहीं, बल्कि सेकेण्डरी एजुकेशन का भी है। हमारे देश के जो नागरिक हैं, चाहे वह रेलवे में काम करते हों या अन्यत्र काम करते हों उन सब को तालीम देने और शिक्षित करने का भार गवर्नमेंट आफ इण्डिया या स्टेट गवर्नमेंट पर है। इसलिये उस का तो जनरल बजट के अन्दर ही सारा कुछ इन्तज़ाम होना चाहिये मगर मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४९–५० में जहां हमारा सिर्फ़ २३ लाख रुपया तालीम पर खर्च होता था वहां अब इस वक्त ५४ लाख रुपया स्कूलों पर खर्च हो रहा है और इसलिये हम पर यह एतराज़ करना और यह कहना कि हम ने उस को घटा दिया है ग़लत है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जितने स्कूल हैं उन को हम अच्छी हालत में रखना चाहते हैं, उन को जितनी हम तरक्की दे सकेंगें और जितनी उन की उन्नति कर सकेंगे वह हम करेंगे। क्योंकि हम किसी भी हालत में जिस संस्था को जिस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं उस को खराब और हीन हालत में चलाना पसन्द नहीं करेंगे। उस को हम अच्छी से अच्छी हालत में रखना चाहते हैं और अच्छी तरह चलाना चाहते हैं।

अस्पताल के बारे मे जो यह शिकायत की गई कि वहां पर मरीज़ों को मुफ्त खाना देना बन्द कर दिया गया है वह भी बिल्कुल गलत साबित हुई और उस के बिलकुल उल्टी बात है। पहले कायदा यह था कि जिन लोगों को तीस रुपया तनख्वाह मिलती थी उन को अस्पताल की तरफ से मुफ्त खाना दिया जाता था। अब उस को बढ़ा कर यह कर दिया गया है कि जिन लोगों की तनख्वाह साठ रुपये तक है, उन को भी इस बात का मौक़ा दिया गया है कि वह भी अस्पताल से मुफ्त खाना प्राप्त कर सकें। इसलिये जैसा कि विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि खाना बन्द कर दिया गया और उस के दाम देने पड़ते हैं, बात उस के बिल्कुल विपरीत है और बजाय इस के कि अब तक जो तीस रुपये वालों को खाना अस्पताल से मुफ्त दिया जाता था वहां अब साठ रुपये तक पाने वालों को खाना अस्पताल से मुफ्त दिया जाता है। एक बात यह भी कही गयी कि डाक, मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जाय, यह बहुत धीमी चलती हैं और इस की वजह से सफ़र करने वालों को काफ़ी असुविधा होती है। बात बिल्कुल ठीक है। इसी हाउस के एक माननीय सदस्य कुछ दिन पहले भी चार पांच रोज़ हुए मुझ से कहते थे कि दिल्ली से कलकत्ता जो मेल जाता है, वह क़रीब २६ घंटे में पहुंचता है, और यह इतना लम्बा समय है कि इसे कम करना चाहिये।

मैं ने सुना है कि इस विषय पर रेलवे डिपार्टमेंट में काफ़ी विचार होता रहा है और अब तक इस पर कोई ख़ास फ़ैसला नहीं हो पाया है। बीच में रेलवे (रेलपथ) भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था जिन के कारण भी स्पीड का बढ़ाया जाना एक सही बात नहीं समझी जाती थी, और कुछ गाड़ियों की स्पीड कम भी कर दी गई थी। लेकिन साथ ही बराबर रेलवे लाइनों को ठीक करने की और मज़बूत बनाने की कोशिश की गई और हम इस बात का आदेश देने जा रहे हैं कि जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें अब तक क़रीब ३५ मील की औसत स्पीड पर चलती थीं, अब उन की औसत स्पीड कम से कम

[श्री एल० बी० शास्त्री]

४० मील फ़ी घंटा हो। और अगर ४० मील फ़ी घंटा की स्पीड से भी हम चलें तो यह तो सही है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस गाड़ी से दिल्ली से कलकत्ता के लिये आठ बजे सवेरे चल कर हम दूसरे दिन क़रीब दस बजे वहां पहुंचते हैं। उसी गाड़ी से चालीस मील की स्पीड से चलने पर यह सम्भव होगा कि हम क़रीब छः साढ़े छः बजे सवेरे पहुंच जायेंगे। लेकिन मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की स्पीड को और भी बढ़ाया जा सकता है। यह मैं मानता हूं कि ज़्यादा से ज्यादा स्पीड साठ मील की है, लेकिन फिर भी हम साठ मील तो कर ही नहीं सकते। किसी न किसी औसत पर आना पड़ेगा। स्पीड को बढ़ाने का दूसरा उपाय हाल्ट्स अर्थात् जो बीच के रुकने के स्टेशन हों, उन को कम करना है। लेकिन उन को भी तभी कम किया जा सकता है कि जब हम नई गाड़ियां चलायें और पैसेन्जर ट्रेनें बढ़ायें। पैसन्जर ट्रेनों के जरिये हाल्ट्स को कम करने की कमी पूरी की जा सकती है। मेल और एक्सप्रेस को कम स्टेशनों पर रोक कर २६ घंटों के सफ़र को २० घंटे, १८ घंटे या १६ घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन वह तभी मुमकिन है जब हमारे पास कोचेज़ काफ़ी हो जायें और उन कोचेज़ से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें बढ़ा सकें।

कुछ बातें और सदस्यों ने कही थीं और उन में खास तौर पर आसाम के एक माननीय सदस्य ने स बात पर ज़ोर दिया था कि आसाम के रहने वालों के साथ बहुत न्याय नहीं किया गया है—खास तौर पर रिक्रूटमेंट (भरती) के बारे में। यानी आसाम के लोग रेलवे के अन्दर बहुत कम भरती हुए हैं। इसका कारण क्या है, इस में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन यह मैं उनकी सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि हम ने यह फ़ैसला किया है कि आइन्दा तीसरी और चौथी श्रेणियों में जो नियुक्तियां होंगी उन में यह नियम होगा कि एक कमीशन आसाम में जा कर बैठेगा और आसाम के अफ़सर और और लोग भी उस कमीशन के अन्दर रहेंगे। इस से जो असुविधा अब तक आसाम के रहने वाले महसूस करते थे वह उन्हें नहीं रहेगी। दूसरी बात यह भी होगी कि जहां तक चौथे दरजे के कर्मचारी हैं उन की भरती तो ज्यादातर स्थानीय अफ़सर करते हैं और इसलिये मैं नहीं समझता कि उन के बारे में कोई खास अड़चन आसाम के रहने वालों को होगी क्योंकि वह तो इस में लिये ही जायेंगे। दूसरे और कौन बाहर से आ कर उस में भर्ती हो सकते हैं ?

कुछ उड़ीसा के बारे में भी कहा गया। लेकिन जैसे मैं घड़ी की ओर देखता हूं मुझे यह मालूम होता है कि मुझे उन तमाम बातों में नहीं जाना चाहिये। इसलिये मैं उड़ीसा के लिये केवल यह कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ दिक़्क़तें बतलाई हैं उन को मैं खास तौर से देखना चाहता हूं क्योंकि जो हमारे पिछड़े हुए प्रान्त हैं उन को हम जितनी सहूलियत पहुंचा सकें पहुंचाना हमारा फर्ज है। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उन पर पूरा ध्यान देगी।

श्री श्यामा प्रसाद जी ने बंगाल में एक पुल बनाने की बात कही, फ़र्रुखा में पुल बनाये जाने की बात। मैं ने सवाल पूछे जाने के समय इस बात को साफ़ भी किया था कि अभी इस समय पर विचार हो रहा है कि पुल फ़र्रुखा में बने या मुकामा घाट में बने या बिहार में पटना के पास बने। यह सवाल एक कमेटी के सुपुर्द है। वह कमेटी अपना फ़ैसला जल्द करने वाली है और हम यह आशा करते हैं कि महीने भर के अन्दर ही इसका फ़ैसला हो जायेगा। उस फ़ैसले

के आने के बाद ही हम यह तय कर पायेंगे कि यह पुल कहां बनाना चाहिये। इस में कोई सन्देह नहीं है कि ट्रैफ़िक के लिहाज से इस पुल का बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। हर तरह के ट्रैफ़िक को, चाहे वह गुड्स (माल) का हो या और चीजों का हो हम काफ़ी प्रायोरिटी (प्राथमिकता) देना चाहते हैं और इसे तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जगह यानी कहां बने इस का फ़ैसला उस कमेटी की राय पर होगा और अगर कमेटी की राय यह हुई कि दो जगह बनना चाहिये तो फिर हमें इस पर विचार करना होगा, लेकिन अगर राय यह हुई कि एक जगह पर बना कर काम चल सकता है तो दोनों में से कौन सी जगह चुननी चाहिये इस का फ़ैसला रिपोर्ट आने के बाद हम कर सकेंगे।

जहां तक मैसूर में एक छामराजनगर सत्यमंगलम रेलवे लाइन बनाने की बात है उस का काम सन् १९५४ में आरम्भ किया जायेगा और हम उस काम को भी तेज़ी से आगे बढ़ायेंगे।

जो कुछ ख़ास बातें जनरल उसूल की कही गई हैं उन के बारे में कुछ बातें अंगरेजी में कहूंगा और इसलिये चूंकि वह सवाल ज़्यादातर उधर (विरोधी बेंचों) से उठाये गये थे इसलिये मुनासिब यह होगा कि मैं उन के बारे में इस समय हिन्दी में कुछ न कहूं।

एक बात थोड़ी सी मैं रिग्रुपिंग (पुनवर्गीकरण) के बारे में कह देना चाहता हूं। अभी आप ने रिग्रुपिंग के बारे में हमारे माननीय मंत्री श्री गोपालस्वामी अंय्यगार जी को सुना और वह उस विषय के सब से अच्छे जानकार हैं। यह सारा काम उनका ही किया हुआ है। एक काफ़ी बड़ा काम था जिस को उन्होंने उठाया। तीस साल से इस स्कीम की चर्चा थी और रेलवे के एकीकरण का सवाल था। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद यह मुनासिब ही था कि रेलवे के युनिफ़िकेशन (एकीकरण) की बात पूरी की जाये, उसे एक किया जाय। और इस में सन्देह नहीं कि श्री गोपालस्वामी जी को इस बात का सदा श्रेय रहेगा। उन की हमेशा इस बात में चर्चा की जायेगी कि इस बड़े सवाल को उन्होंने हिम्मत से उठाया और उस की पूरी स्कीम तैयार की और उस को जारी किया। इस समय और प्रान्तों की तरफ़ से कोई ख़ास विरोध इस का नहीं हुआ है। कुछ थोड़े से विरोधी दल के सदस्यों ने जो कुछ कहा मैं उस को गम्भीरतापूर्वक लेने के लिये भी तैयार नहीं हूं क्योंकि कोई आवाज़ और किसी प्रान्त की तरफ़ से, किसी सूबे की तरफ़ से इस ग्रुपिंग के लिये नहीं उठी है। लेकिन यह सही है कि पश्चिमी बंगाल से यह आवाज़ उठी, वहां विरोध है, वहां इख़्तलाफ़ है और अब भी वहां के सदस्य एक अलग राय अपनी रख रहे हैं।

श्री **नंद लाल शर्मा** (सीकर): और उत्तर प्रदेश ?

श्री एल० बी० शास्त्री: उत्तर प्रदेश में कोई विरोध नहीं है। जहां तक इस सवाल पर पश्चिमी बंगाल के बारे में कोई राय देने की बात है वह मेरी राय में मेरे लिये बहुत कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने ज़िम्मेदारी उस समय सम्भाली है, जिस समय उस की स्कीम बन कर तैयार ही नहीं बल्कि वह स्कीम पूरी तरह से चालू है और जब यह स्कीम पूरी तरह से चालू है तब फ़िर ऐसे वक्त में कोई ख़ास तबदीली करना, गवर्नमेंट के काम में काफ़ी बाधा और रुकावट डालने वाली होती है। इसलिये मेरे लिये आज की स्थिति में कोई अपनी राय ज़ाहिर करना बहुत ही मुश्किल बात है।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

में काफ़ी गौर से अपने बंगाल के दोस्तों और साथियों की राय सुनना चाहता हूं, और सुनी भी हैं। मैं ने उन से कहा भी है और अब भी इस पर बात करने के लिये तैयार हूं। लेकिन जैसा श्री गोपालस्वामीजी ने कहा वह ख़ास सवाल हैडक्वार्टर्स का है यानी जो गोरखपुर में आज एक नया हैड-क्वार्टर खुला है, और कलकत्ते में एक दूसरा हैडक्वार्टर खुलने की बात है, उस के बारे में बहुत आसानी से कोई फ़ैसला करना मुमकिन नहीं मालूम होता।

यह कहा जाता है कि गोरखपुर के हैड-क्वार्टर को मत हटाओ कलकत्ता में एक नया हैडक्वार्टर खोल दो। यह बात ठीक इसलिये नहीं लगती कि सारी बातों को विचार करके सेंट्रल ऐडवाइज़री काउंसिल (केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद्) और गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि ६ ज़ोन से ज्यादा न हों। आज उस फ़ैसले को बदल कर ६ ज़ोन से बढ़ा कर हम सात ज़ोन कर दें और उन पहलुओं की ओर उन बातों को जिन की वजह से यह फ़ैसला किया है छोड़ दें तो यह कोई बहुत अक्ल-मन्दी की बात नहीं होगी। इसलिये जहां तक मैं इस सवाल को समझ पाया हूं कि हैडक्वार्टर को गोरखपुर से कलकत्ता ले जाया जाय, इस का कोई हल निकलना आसान बात नहीं होगी मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल कठिन है। लेकिन मेरे दिल में यह बात ज़रूर है कि अगर कोई ऐसी बेसिक बात को, कोई जड़ की बात को, उस को न बदलते हुए हम किसी तरह अपने बंगाल के साथियों को सन्तोष दे सकें तो उस से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर सवाल यह है कि कौन सी ऐसी बात निकलेगी। इसलिये मैं ने कहा था कि माननीय सदस्य आयें और अगर मुझ से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें ताकि मुझे जानकारी हो और पता चले कि क्या क्या बातें ऐसी हैं, कौन से ऐसे रचनात्मक सुझाव हैं जो हमें उस ठीक नतीजे पर पहुंचा सकें जो बंगाल के हित में हों और जिसे हमारे बंगाल के साथी बंगाल के हित में समझते हों। जहां तक ट्रैफ़िक वग़ैरह की बात है वह तो एक बड़ा सवाल है इस में कोई शक नहीं। मगर एक दूसरा सवाल है जो हमारे बंगाल के साथियों को परेशान कर रहा है और वह यह है कि जो एक हैडक्वार्टर अब तक था और जिस में कम से कम १५०० आदमी काम करते थे उन का रास्ता बन्द हो गया। आज उन १५०० आदमियों का जिन में से एक हज़ार या १२०० बंगाल के रहने वाले भरती होते थे, आगे के लिये रिक्रूट-मेंट बन्द हो जाता है। इन आदमियों की नौकरी जाती है और एक बेरोज़गारी पैदा होती है। यह ऐसा सवाल है कि जिस का बंगाल के रहने वालों पर क़ुदरती तौर पर असर पड़ता है। इस के लिये मैं यह ज़रूर सोच रहा हूं कि हम वहां नये दफ़्तर खोलें। जो दफ़्तर हमें और कहीं खोलना हो उसे हम कलकत्ता में खोलें। हम ने यह फ़ैसला भी किया है कि एक नया दफ्तर, जिस का कि नाम स्टोर्स परचेज़िंग आर्गेनाइज़ेशन (भण्डार क्रिय विभाग) है, कलकत्ते में हम फौरन ही खोलने जा रहे हैं और उस में लगभग चार साढ़े चार सौ आदमी काम करेंगे जो कि वहां भरती किये जायेंगे या उन को वहां रिक्रूटमेंट का मौक़ा मिलेगा। मेरा विचार यह भी है कि मैं और चीज़ों को देखूं ताकि सात सौ आठ सौ या नौ सौ आदमियों की वहां और भरती होने का इन्तज़ाम हो सके जिस में कि वह १२०० या १५०० आदमी जो वहां काम करते थे उन को काम करने का मौका मिल जाये। तो मैं ऐसे विभाग या दफ़्तर वहा खोलने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं ने अभी कहा है, जिस से

बंगाल के रहने वालों की जो दिक्कत है उस को दूर कर सकूं।

तो एक ट्रैफ़िक का मामला है जिस को अलग सोचना है यानी स्यालदा लाइन का और लूप लाइन का। मगर उस के साथ ही साथ जो यह दूसरा मसला है उस का महत्व मैं कम नहीं समझता जिस में कि १२०० या १५०० आदमियों के बेरोज़गार होने का सवाल है। उस के लिये मैं जो भी रास्ता निकाल सकता हूं और जो भी सुविधा पहुंचा सकता हूं उसकी कोशिश करूंगा।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नया बोझ मुझे दिया गया है उस बोझ को खुद मैं भी बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूं। यह काफ़ी बड़ा काम है और इस काम को सारे देश के हित में करना यह मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं यह भी जानता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट होने के नाते हमारा फर्ज़ है कि हमारा ध्यान सब से पहले उस तरफ़ जाये जहां हालत सब से खराब है और जहां लोग दबे हुए हैं, या कमज़ोर हैं या रेलवे में जिन को दूसरी तरह की असुविधायें हैं या दिक्क़तें हैं। मैं मानता हूं कि पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के डब्बों की हालत भी ख़राब है, पंखे ठीक नहीं चलते हैं या उन के शौचालय वग़ैरह ठीक नहीं हैं, सीटें भी फटी हुई हैं, गद्दे ठीक नहीं हैं। मैं यह भी मानता हूं कि वह रेल का किराया देते हैं और उन को उन सब बातों के आराम का हक़ भी है। मगर मुझे निजी तौर पर यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर कुछ दिनों के लिये फ़र्स्ट या सैकिंड क्लास के मुसाफ़िरों को यह दिक्क़तें उठानी पड़ें तो उन्हें उन को उठाने के लिये तैयार रहना चाहिये अगर इस वजह से हम थर्ड क्लास और इन्टर क्लास के मुसाफ़िरों को सुविधा और सहूलियत पहुंचा सकें। जिन लोगों ने जिन्दगी भर मुसीबतें उठाई हैं अगर उन को सुविधा पहुंचाने के लिये फ़र्स्ट और सैकिंड क्लास के मुसाफ़िरों को कोई दिक्क़त उठानी पड़े तो मैं समझता हूं कि उस को उठाने में उन को घबराना नहीं चाहिये और मुझे भी उस क़दम को उठाने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये।

यह कहा गया है कि तीन करोड़ रुपये रख दिये गये हैं महज़ डेवेलपमेंट (विकास) के लिये। यह ठीक है कि तीन करोड़ रुपये रखे गये हैं। रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने, जो कि बिठाई गई थी और जिस ने पांच साल का प्रोग्राम बनाया है, तय किया है कि तीन करोड़ रुपया हर साल लगाया जाये। मुझे यह जान कर ताज्जुब हुआ। लेकिन मजबूरी भी मालूम होती है कि पहले साल तो तीन करोड़ रुपया भी ख़र्च नहीं हो सकता। ऐसी हालत में रुपये को ज्यादा बढ़ाने का सवाल नहीं है। अपने काम करने की शक्ति को बढ़ाने का सवाल है। मैं जानता हूं कि अगर यह तीन करोड़ रुपया काम के लिहाज़ से कम पड़ता है तो इस बजट में इस को आसानी से बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन मैं फ़िर भी आप को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस तीन करोड़ को चार करोड़ करने की कोशिश करूंगा अगर हमारी शक्ति है इतना काम करने की। हम उस रुपये को सुधार के लिये ख़र्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो रुपया बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है।

मुझे आशा है कि मुझे इस भवन का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरी मदद मिलेगी। रेलवे कर्मचारियों के लिये भी मेरे दिल में एक इरादा है और उन के लिये मेरे दिल में हमदर्दी और सहानुभूति है क्योंकि मैं भी उन्हीं के बीच का एक आदमी हूं। मैं किसी

[श्री एल० बी० शास्त्री]

दूसरी श्रेणी का आदमी नहीं हूं । इसलिये मैं उन के कष्टों को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं और उन के लिये अपने वेज़ और मीन्स (साधन तथा कार्य) के अन्दर और अपने फ़ाइनेन्सेस के अन्दर जो भी कर सकता हूं करूंगा और अगर आवश्यकता होगी तो दस कदम आगे जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं उन की तरफ़ भी यह भावना रखता हूं साथ ही जो लोअर क्लास पैसेंजर हैं उन की तरफ़ भी मैं एक ख़ास जज़्बा रखता हूं। इस से मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरा ध्यान और बातों की तरफ़ नहीं जायेगा। इस का यह मतलब नहीं है कि ट्रेड और इंडस्ट्री (व्यापार तथा उद्योग) को फ़ेयर डील नहीं मिलेगा, यह सब बातें नहीं हैं। वे भी उस के साथ हैं। लेकिन सब बातों को बैलेंस (सन्तुलित) करना पड़ता है, तराजू पर तोलना पड़ता है कि कौन सा काम आगे होना चाहिये, कौन सा काम पहले होना चाहिये, किस काम का महत्व ज़्यादा है और किस काम का महत्व कम है। इसलिये इन बातों को देख कर हम को एक क़दम उठाना चाहिये और मैं समझता हूं कि जिधर मैं ने इशारा किया है उस तरफ सारे भवन की यह राय है कि इसी भावना से काम करना चाहिये। मुझे भरोसा है कि इसमें हमें आप की सहायता मिलेगी और हम जिस तरफ़ जा रहे हैं अपने उस इरादे में कामयाबी से आगे जा सकें।

इसके पश्चात् सदन की बैठक ३० मई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।